

1: संघीय वित्त 2016-17 का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

संसद में प्रस्तुत किए गए संघ सरकार के वार्षिक लेखे में वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे शामिल हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से प्राप्तियों तथा भुगतानों के विवरणों को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में व्यय तथा परिणामतः आधिक्य/बचत के लिए स्पष्टीकरणों को दर्शाते हैं।

बॉक्स 1.1: संघ सरकार निधियां एवं लोक लेखा

समेकित निधि	<ul style="list-style-type: none">संघ सरकार द्वारा प्राप्त किए गये समस्त राजस्व, राजकोषीय बिलों के निर्गम द्वारा उठाए गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन मिलकर एक समेकित निधि निर्मित करते हैं जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित की गई "भारत की समेकित निधि" कहा जाता है।
आकस्मिकता निधि	<ul style="list-style-type: none">संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में है जो उन्हें, संसद से प्राधिकार प्राप्त हो जाने तक अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है।इस प्रकार किये गये व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है। जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियां तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियां, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं।इस प्रकार प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण इसी से किए जाते हैं।

1.1.1 संघ सरकार वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय वर्ष 2016-17 के दौरान संघ सरकार के लेखाओं का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है। यह 2012-13 से 2016-17 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि से प्रचलित प्रवृत्तियों के संदर्भ में मुख्य राजकोषीय संचयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.1 राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, लोक लेखा प्राप्तियां तथा कुल संवितरण के अनुसार संघ सरकार के वित्त की स्थिति का सार प्रस्तुत करती है।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

तालिका 1.1: प्राप्तियों तथा संवितरण 2016-17 के अनुमान तथा वास्तविक : संघ सरकार

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.		बजट अनुमान (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक	बीई के सापेक्ष भिन्नता
1	कुल प्राप्ति (7+8+9)	7588743	8886801	9112788	1524045 (20.08)
2	राजस्व प्राप्तियाँ	1632772	1677063	1615988	-16784 (-1.03)
	कर प्राप्तियाँ ¹	1060801	1095493	1107968	47167 (4.45)
	गैर-कर प्राप्तियाँ ²	571971	581570	508020	-63951 (-11.18)
3	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	56500	45500	47743	-8757 (-15.50)
4	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	22495	61686	40971	18476 (82.13)
5	कुल गैर-ऋण प्राप्तियां (2+3+4)	1711767	1784249	1704702	-7065 (-0.41)
6	लोक ऋण की प्राप्ति	4915665	5971210	6134137	1218472 (24.79)
7	सीएफआई में कुल प्राप्तियां(5+6)	6627432	7755459	7838839	1211407 (18.28)
8	आकस्मिकता निधि	0	0	0	0
9	लोक लेखा प्राप्ति	961311	1131342	1273949	312638 (32.52)
10	कुल संवितरण (16+17)	7581937	8927028	9103892	1521955 (20.07)
11	राजस्व व्यय	1987285	1988720	1933018	-54267 (-2.73)
12	पूंजीगत व्यय	219146	243612	249472	30326 (13.84)
13	ऋण एवं अग्रिम	39738	88382	60011	20273 (51.02)
14	कुल व्यय (11+12+13)	2246169	2320714	2242501	-3668 (0.16)
15	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4406431	5491869	5678823	1272392 (28.88)
16	सीएफआई से कुल संवितरण (14+15)	6652600	7812583	7921324	1268724 (19.07)
17	लोक लेखा संवितरण	929337	1114445	1182568	253231 (27.25)
18	राजस्व घाटा(11-2)	354513	311657	317030	-37483 (-10.57)

19	राजकोषीय घाटा (14-5)	534402	536465	537799	3397 (0.64)
<p>1 संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत राज्यों ₹ 5,70,337 करोड़ (बीई) तथा ₹ 6,08,000 करोड़ (वास्तविक) को प्रदान की गई आय पर कर शामिल नहीं है।</p> <p>2 सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल हैं।</p> <p>3 कोष्ठक में आंकड़े अंतर की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।</p>					

विनिवेशों सहित विविध पूंजीगत प्राप्तियां (₹47,743 करोड़) ₹56,500 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से कम रही। व्यय पक्ष की ओर, पूंजीगत व्यय (₹30,326 करोड़) बजट में प्रदत्त राशि से अधिक था।

राजस्व लेखे पर असंतुलन राजस्व घाटा अर्थात् जो ₹3,54,513 करोड़ के बजट आंकड़े के प्रति ₹3,17,030 करोड़ था, बजट आंकड़े के 10.57 प्रतिशत तक कम था। समग्र असंतुलन का परिणाम राजकोषीय घाटे में होता है जो ₹5,34,402 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹5,37,799 करोड़ था जो बजट आंकड़े से 0.64 प्रतिशत अधिक था। पैरा 1.4 में घाटे के संकेतको पर विस्तृत टिप्पणियां शामिल हैं।

1.1.2 सकल घरेलू उत्पाद

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने प्रैस नोट दिनांक 31 जनवरी 2017 तथा 31 मई 2017 के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान जारी किए। 2012-13 से 2016-17 तक के लिए जीडीपी के अनुमानों का विवरण नीचे तालिका 1.2¹ में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2 : सकल घरेलू उत्पाद 2016-17

(₹ करोड़ में)


जीडीपी	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (पीई)
स्थिर मूल्यों पर	9215125	9817822	10536984	11381002	12189854
पिछले वर्ष से प्रतिशतता परिवर्तन	5.48	6.54	7.33	8.01	7.11
वर्तमान मूल्यों पर	9946636	11236635	12445128	13682035	15183709
पिछले वर्ष से प्रतिशतता परिवर्तन	13.86	12.97	10.75	9.94	10.98

पीई- प्रावधानिक अनुमान

¹ 2012-13 तथा 2013-14 हेतु जीडीपी अनुमान प्रैस नोट दिनांक 31 जनवरी 2017 तथा 2014-15 से 2016-17 हेतु प्रैस नोट दिनांक 31 मई 2017 से लिए गए हैं।

वर्ष 2016-17 के लिए स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर जीडीपी ₹1,21,89,854 करोड़ पर अनुमानित था जबकि वर्ष 2015-16 हेतु जीडीपी ₹1,13,81,002 करोड़ अनुमानित था। 2016-17 में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में वृद्धि 2015-16 में 8.01 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 7.11 प्रतिशत तक कम हुई। स्थिर मूल्यों (2011-12) पर सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए)² के तिमाही-वार विश्लेषण दर्शाता है कि 2016-17 की प्रथम तिमाही में वृद्धि 2015-16 में अर्थात् 7.6 प्रतिशत के समान थी। तथापि, 2016-17 में अनुवर्ती तीन तिमाहियों में वृद्धि की दरों ने 2015-16 में संगत तिमाहियों की तुलना में कमी देखी जैसा नीचे चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1 2015-16 तथा 2016-17 में तिमाही-वार जीवीए



जैसा उपर्युक्त से स्पष्ट है कि जीडीपी में मंदी दूसरी तिमाही से प्रारम्भ हुई तथा 2016-17 की चौथी तिमाही में अधिक उच्चरित हो गई।

वर्ष 2016-17 के लिए वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी ₹1,51,83,709 करोड़ अनुमानित था जबकि वर्ष 2015-16 के लिए जीडीपी ₹1,36,82,035 करोड़ पर अनुमानित था, जो 10.98 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है। स्थिर मूल्यों पर जीडीपी की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में कम थी। तथापि, वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में अधिक थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस प्रतिवेदन में, विभिन्न राजकोषीय सूचकों का विश्लेषण करते समय वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी को आधार बनाया गया है जैसा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अपेक्षित है।

² जीडीपी उत्पाद पर करों का निवल

1.2 संसाधन का सृजन

राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो संघ सरकार के संसाधन निर्मित करते हैं। कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा बाह्य एजेंसियों से सहायता अनुदान को मिलाकर राजस्व प्राप्तियां बनती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के दो संघटक हैं-ऋण प्राप्तियां, जो भविष्य में पुनर्भुगतान बाध्यताओं को सृजित करती है तथा गैर-ऋण प्राप्तियां, जिनमें विनिवेश तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियां शामिल है जिससे वास्तविक अथवा संभावित परिसंपत्तियों में कटौती होती है।

तालिका 1.3 : संसाधन एवं जीडीपी

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल राजस्व प्राप्तियां* (1)	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (2)	सकल ऋण प्राप्तियां (3)	लोक लेखे में सकल उपार्जन (4)	सकल प्राप्तियां (1+2+3+4) (5)	सकल ऋण प्राप्त/सकल प्राप्त (प्रतिशत में) (6)	सकल प्राप्तियां/ जीडीपी ³ (प्रतिशत में) (7)
2012-13	1347438 (22)	52513 (1)	3968038 (66)	660784 (11)	6028773	65.82	60.61
2013-14	1536024 (24)	53917 (1)	3994966 (64)	692960 (11)	6277867	63.64	55.87
2014-15	1666717 (25)	64287 (1)	4218196 (62)	850506 (12)	6799706	62.03	54.64
2015-16	1942353 (26)	84010 (1)	4316950 (58)	1116692 (15)	7460005	57.87	54.52
2016-17	2223988 (23)	88714 (1)	6134137 (63)	1273949 (13)	9720788	63.10	64.02

*राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े (वर्तमान वर्ष हेतु ₹6,08,000 करोड़) सम्मिलित हैं। वर्तमान वर्ष में ₹16,15,988 करोड़ केंद्र की निवल राजस्व प्राप्तियां हैं जिसे तालिका 1.1 में दिखाया गया है।

नोट: (1) कोष्ठक में आंकड़े सकल प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

जैसा कि तालिका 1.3 से देखा जा सकता है, जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल प्राप्त ने 2012-13 से 2015-16 के दौरान घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाई परंतु पिछले वर्ष से 2016-17 में सुधरी तथा 2016-17 में 64.02 प्रतिशत पर रही। वर्ष 2016-17 की 2015-16 में 16.54 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में सकल राजस्व प्राप्तियों में 14.50 प्रतिशत की वृद्धि बताई गई। सकल प्राप्तियों की तुलना में सकल ऋण प्राप्तियों का अनुपात 2015-16 (57.87 प्रतिशत) के सिवाय 60 प्रतिशत के स्तर के ऊपर रहा जो संघ बजट को वित्तपोषित करने हेतु ऋण पर निर्भरता को दर्शाता है।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां जिसमें कर एवं गैर-कर प्राप्तियां शामिल होती हैं, राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं क्योंकि इन प्राप्तियों द्वारा किसी तरह की भविष्य में भुगतान

³ उपर्युक्त तालिका 1.2 में जीडीपी का आंकड़ा

दायित्वों की बाध्यता उत्पन्न नहीं होती। राजस्व प्राप्तियों के घटकों की चर्चा आगामी पैराओं में की गई है।

1.2.2 राजस्व प्राप्तियां: सकल एवं निवल

तालिका 1.4 सकल एवं निवल दोनों राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संघ सरकार के वित्त का विहंगावलोकन प्रस्तुत करती हैं।

तालिका 1.4: राजस्व प्राप्तियां: सकल एवं निवल

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व	राज्यों का अंश*	निवल कर राजस्व	गैर-कर राजस्व#	निवल राजस्व प्राप्ति	सकल राजस्व प्राप्ति
(1)	(2)=(3)+(4)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)= (2)+(5)
2012-13	1036461	291547	744914	310977	1055891	1347438
2013-14	1138996	318230	820766	397028	1217794	1536024
2014-15	1245136	337808	907328	421581	1328909	1666717
2015-16	1455891	506193	949698	486462	1436160	1942353
2016-17	1715968	608000	1107968	508020	1615988	2223988
वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)						
2012-13	16.57	14.15	17.55	12.44	16.00	15.59
2013-14	9.89	9.15	10.18	27.67	15.33	14.00
2014-15	9.32	6.15	10.55	6.18	9.12	8.51
2015-16	16.93	49.85	4.67	15.39	8.07	16.54
2016-17	17.86	20.11	16.67	4.43	12.52	14.50

#बाह्य अभिकरणों से सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल है

* संघ सरकार के वित्त लेखाओं के संबंध में केन्द्रीय कर राजस्व में अंश के तौर पर राज्यों को किया गया अंतरण धारा 279(1) के तहत प्रमाणीकरण एवं अंतिम जांच के अधीन है।

वर्ष 2016-17 के दौरान सकल कर राजस्व पिछले वर्ष से 17.86 प्रतिशत तक बढ़ा तथा वर्तमान मूल्यों पर 10.98 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि को भी पीछे छोड़ दिया (तालिका 1.2)।


सरकार के गैर-कर राजस्व की वृद्धि ने 2012-17 के दौरान उच्च उतार-चढ़ाव दर्शाया जो 2016-2017 में 4.43 प्रतिशत से 2013-14 में 27.26 प्रतिशत के बीच था।

2016-17 में सकल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 2015-16 में 16.54 प्रतिशत की तुलना में 14.50 प्रतिशत थी।

1.2.3 राजस्व प्राप्तियों के संघटक: बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर

यथार्थवादी बजटीय अनुमानों का निरूपण व्यय नियंत्रण तथा रोकड़ एवं ऋण प्रबन्धन हेतु महत्वपूर्ण है। नीचे चार्ट बीई की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मुख्य संघटकों को दर्शाता है।

चार्ट 1.2 बीई की तुलना में वास्तविक मुख्य राजस्व संघटक: 2016-17



चार्ट 1.2 उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के सिवाय सभी संघटकों के बजट लक्ष्य के संबंध में वास्तविक प्राप्तियों में कमी को दर्शाता है। उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर से वसूली, वर्ष 2016-17 में बीई से क्रमशः 19.71 प्रतिशत तथा 10.17 प्रतिशत अधिक थी।

1.2.4 कर राजस्व

तालिका 1.5 पिछले पांच वर्षों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर राजस्व के संघटकों की सुनिश्चित शर्तों के साथ-साथ उसकी वृद्धि की वार्षिक दर दर्शाती है।

तालिका 1.5: कर राजस्व (सकल) के संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व #	प्रत्यक्ष कर*				अप्रत्यक्ष कर					वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी
		निगम कर	आयकर	अन्य	कुल	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य	कुल	
2012-13	1036461	356326	196844	5819	558989	165346	175845	132601	3680	477472	9946636
2013-14	1138996	394678	237870	6048	638596	172085	169455	154780	4080	500400	11236635
2014-15	1245136	428925	258374	8493	695792	188016	189038	167969	4321	549344	12445128
2015-16	1455891	453228	280390	8394	742012	210338	287148	211415	4978	713879	13682035

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

अवधि	सकल कर राजस्व #	प्रत्यक्ष कर*				अप्रत्यक्ष कर					वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी
		निगम कर	आयकर	अन्य	कुल	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य	कुल	
2016-17	1715968	484924	340592	24285	849801	225370	380495	254499	5803	866167	15183709
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत)											
2012-13	16.57	10.38	19.64	-12.44	13.16	10.73	21.36	35.99	8.46	20.84	13.86
2013-14	9.89	10.76	20.84	3.94	14.24	4.08	-3.63	16.73	10.87	4.80	12.97
2014-15	9.32	8.68	8.62	40.43	8.96	9.26	11.56	8.52	5.91	9.78	10.75
2015-16	16.93	5.67	8.52	-1.17	6.64	11.87	51.90	25.87	15.20	29.95	9.94
2016-17	17.86	6.99	21.47	189.31	14.53	7.15	32.51	20.38	16.57	21.33	10.98


राज्यों/यूटी को दिए गए करों/शुल्कों के आकड़े शामिल हैं।

*प्रत्यक्ष कर में मुख्य शीर्ष 0029-भूमि राजस्व एवं 0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त आय एवं व्यय पर सकल कर और सम्पत्ति, पूंजीगत एवं अन्य लेन-देन पर कर शामिल हैं।

प्रत्यक्ष कर के सभी संघटकों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में वृद्धि दर्ज की जिसका परिणाम 2015-16 में 6.64 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2016-17 के दौरान 14.53 प्रतिशत की प्रत्यक्ष कर की समग्र वृद्धि में हुआ। आयकर ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 2016-17 में 21.47 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की थी। 'अन्य' जो वर्तमान वर्ष के दौरान 189.31 प्रतिशत तक बढ़ा, के मामले में यह मुख्यतः आयकर घोषणा योजना तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (₹10,098 करोड़) आदि के अंतर्गत ₹15,162 करोड़ की प्राप्ति के कारण था। प्रत्यक्ष कर में हालांकि सभी संघटकों में सुनिश्चित शर्तों में वृद्धि हुई है फिर भी उनकी वृद्धि दर में पिछले वर्ष से 2016-17 के दौरान 'अन्य' के सिवाय गिरावट आई है।

2016-17 तथा 2015-16 के दौरान कर राजस्वों के संघटकों के सापेक्ष अंशों की तुलना (चार्ट 1.3) उत्पाद शुल्कों (दो प्रतिशत) एवं आयकर (एक प्रतिशत) के अंशों में वृद्धि तथा निगम कर (तीन प्रतिशत) एवं सीमाशुल्क (दो प्रतिशत) के अंशों में कमी दर्शाती है। सेवा कर का अंश दोनों वर्षों में बराबर रहा।

चार्ट 1.3 कर राजस्व के संघटक



शून्य प्रतिशत वह मूल्य है जो 0.5 प्रतिशत से कम है।

1.2.5 कर- जीडीपी अनुपात (प्रतिशतता में)

कर-जीडीपी अनुपात सरकार के संसाधन संघटन प्रयासों की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता तथा कर क्षमता की वसूली की इसकी सीमा का संकेतक है। तालिका 1.6, 2012-13 से 2016-17 की अवधि से सकल कर-जीडीपी अनुपात की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है जो 10 से 11 प्रतिशत के आस-पास रहा।

तालिका 1.6: कर/मुख्य करों का जीडीपी अनुपात

(प्रतिशत में)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य*
2012-13	10.42	3.58	1.98	1.66	1.77	1.33	0.10
2013-14	10.14	3.51	2.12	1.53	1.51	1.38	0.09
2014-15	10.01	3.45	2.08	1.51	1.52	1.35	0.10
2015-16	10.64	3.31	2.05	1.54	2.10	1.55	0.10
2016-17	11.30	3.19	2.24	1.48	2.51	1.68	0.20

*अन्य में होटल प्राप्ति कर, ब्याज कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर, स्टैम्प तथा पंजीकरण शुल्क, प्रतिभूतियां लेन-देन कर, क्रय, व्यापार पर कर, अन्य कर तथा सामान एवं सेवाओं पर शुल्क आदि शामिल है।

1.2.6 उपकर संग्रहण

उपकर, सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजनार्थ निधियों के लिए वसूला गया अतिरिक्त कर है। उपकर संग्रहण को आरंभ में सीएफआई में क्रेडिट किया जाता है। संघ के वित्त लेखे में संघीय उत्पाद गैर-विभाजनीय शुल्कों का अलग से पृथकीकरण

होता है। संघ सरकार के वित्त लेखे में वित्त वर्ष 2016-17 हेतु ₹1,31,216 करोड़ की राशि को संघीय उत्पाद गैर-विभाजनीय शुल्क के रूप में दर्शाया गया है। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान कुल उपकर संग्रहण नीचे तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: उपकर संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राथमिक शिक्षा उपकर	उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा उपकर	स्वच्छ उर्जा उपकर	कच्चे तेल पर उपकर	सड़क उपकर	अन्य*	कुल
2012-13	20946	9867	3053	14510	19979	2990	71345
2013-14	22837	11266	3082	14533	20478	4489	76685
2014-15	24219	11960	5393	14655	25122	4035	85384
2015-16	18783	9240	12676	14311	69540	7847	132397
2016-17	20220	10028	26117	12618	72400	30785	172168
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत)							
2012-13	23.95	22.31	18.33	78.65	8.81	-7.11	24.62
2013-14	9.03	14.18	0.95	0.16	2.50	50.13	7.48
2014-15	6.05	6.16	74.98	0.84	22.68	-10.11	11.34
2015-16	-22.45	-22.74	135.05	-2.35	176.81	94.47	55.06
2016-17	7.65	8.53	106.04	-11.83	4.11	292.32	30.04

*अन्य में निर्यात पर उपकर, अवसंरचना उपकर, कोल एवं कोक पर उपकर, जूट पर उपकर, चाय पर उपकर, तांबे पर उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, कृषि कल्याण उपकर, अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्राप्ति आदि शामिल हैं।

तालिका 1.7 2016-17 के दौरान उपकर संग्रहण में 30.04 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्शाती है। इसी अवधि के दौरान स्वच्छ उर्जा उपकर ने 106.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। प्राथमिक शिक्षा उपकर तथा उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा उपकर में वृद्धि पिछले वर्ष से क्रमशः 7.65 प्रतिशत तथा 8.53 प्रतिशत तक बढ़ी है। तथापि, कच्चे तेल पर उपकर में वृद्धि में 11.83 प्रतिशत तक कमी आई। 'अन्य' के अंतर्गत वार्षिक वृद्धि में 292 प्रतिशत की वृद्धि प्राथमिक रूप से कृषि कल्याण उपकर (₹8,379 करोड़) तथा स्वच्छ भारत उपकर (₹12,475 करोड़) के संग्रहण के कारण थी।

1.2.7 गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्वों में दो संघटक शामिल हैं: शासकीय कार्यों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, मुद्रा एवं सिक्के से आय तथा इसकी परिसम्पत्तियों/विनिवेशों अथवा लाभांश या उपभोक्ता प्रभारों जैसे कि रेलवे, डाक तथा विभागीय उपक्रमों द्वारा संग्रहित

उपभोक्ता प्रभारों से आय। गैर कर राजस्व का संघटन नीचे तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: गैर-कर राजस्व का संघटन (अंश एवं वृद्धि दर)

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैर कर राजस्व#	ब्याज प्राप्तियां	लाभ एवं लाभांश	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	शासकीय तथा अन्य कार्य**
2012-13	310977	38860	53762	4819	184662	28874
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	12.50	17.29	1.55	59.38	9.28
2013-14	397028	44027	90442	1316	227661	33582
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	11.09	22.78	0.33	57.34	8.46
2014-15	421582	48007	89861	1735	243512	38467
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	11.39	21.32	0.41	57.76	9.12
2015-16	486462	46325	112136	10100	279710	38191
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	9.52	23.05	2.08	57.50	7.85
2016-17	508020	43496	123021	11998	286597	42908
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	8.56	24.22	2.36	56.41	8.45
वृद्धि की वार्षिक दर						
2012-13	12.44	(-)2.98	6.23	387.75	16.67	8.39
2013-14	27.67	13.30	68.23	(-)72.69	23.29	16.31
2014-15	6.18	9.04	(-)0.64	31.84	6.96	14.55
2015-16	15.39	(-)3.50	24.79	482.13	14.86	(-)0.72
2016-17	4.43	(-)6.11	9.71	18.79	2.46	12.35

बाह्य अभिकरणों से सहायता अनुदान एवं अंशदान शामिल हैं।

सामाजिक सेवाएं: शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल हैं।

आर्थिक सेवाएं: डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी, वृक्षारोपण, खाद्य संचयन तथा भंडारण, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम की प्राप्तियां इत्यादि।

** राजकोषीय सेवाएं तथा सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, रक्षा, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, सहायता-अनुदान तथा अंशदान आदि)

2016-17 में, गैर-कर राजस्व का सबसे बड़ा अंश (56.41 प्रतिशत) ऐसे विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए उपभोक्ता प्रभारों से आया है जो आम जनता को आर्थिक सेवाएं प्रदान करते हैं (तालिका 1.8)। ब्याज प्राप्तियां गैर-कर राजस्व का 8.56 प्रतिशत (पिछले वर्ष से 0.96 प्रतिशतता बिन्दु कम) बनी जबकि लाभांश तथा लाभ लगभग 24.22 प्रतिशत रहा (पिछले वर्ष से 1.17 प्रतिशतता बिन्दु अधिक)। गैर-कर राजस्व 2015-16 में 15.39 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति 2016-17 के दौरान 4.43 प्रतिशत तक बढ़ा। यह मुख्यतः शासकीय एवं अन्य कार्य के सिवाय गैर-कर राजस्व के सभी संघटकों की वृद्धि में कमी के कारण था।

सामाजिक सेवाओं में पिछले वर्ष से 18.79 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण सेवाओं में ₹3,428 करोड़ की प्राप्ति के कारण थी।

लाभ तथा लाभांश से प्राप्तियों ने पिछले वर्ष से शीर्ष 'सावर्जनिक उपक्रमों से लाभांश' के अंतर्गत ₹13,297.97⁴ करोड़ की अधिक प्राप्ति के कारण 2016-17 के दौरान 9.71 प्रतिशत की वृद्धि देखी।

आर्थिक सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा लाभ एवं लाभांश से प्राप्तियां गैर-कर राजस्व की मुख्य संघटक हैं। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण संघटक नीचे तालिका 1.9 में दिये गये हैं।

तालिका 1.9: आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व के प्रमुख संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	भारतीय रेल- वाणिज्यिक लाईन	पेट्रोलियम	सड़क एवं पुल	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	कोयला एवं लिग्नाइट	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2012-13	122953 (39.54)	14806 (4.76)	4007 (1.29)	3148 (1.01)	88 (0.03)	311 (0.10)
2013-14	138776 (34.95)	16525 (4.16)	5298 (1.33)	3368 (0.85)	136 (0.03)	345 (0.09)
2014-15	155904 (36.98)	14480 (3.43)	6103 (1.45)	4774 (1.13)	6179 (1.47)	348 (0.08)
2015-16	163497 (33.61)	9492 (1.95)	6889 (1.42)	5231 (1.08)	545 (0.11)	363 (0.07)
2016-17	161583 (31.81)	10797 (2.13)	7326 (1.44)	7802 (1.54)	433 (0.09)	413 (0.08)

कोष्ठक में आंकड़े गैर-कर राजस्व की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत 2.46 प्रतिशत (तालिका 1.8) की वार्षिक वृद्धि हेतु उत्तरदायी मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम/क्रियाकलाप 'पेट्रोलियम' जो 2015-16 में ₹9,492 करोड़ से 2016-17 में ₹10,797 करोड़ तक बढ़ा, 'सड़कें एवं पुल' जो ₹6,889 करोड़ से ₹7,326 करोड़ तक बढ़ा तथा 'अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं' जो उसी अवधि के दौरान ₹5,231 करोड़ से ₹7,802 करोड़ तक बढ़ी, से प्राप्तियां थीं। तथापि, 'भारतीय रेल (वाणिज्यिक लाईनें)' तथा कोयला एवं लिग्नाइट से राजस्व पिछले वर्ष से 2016-17 में क्रमशः ₹1,914 करोड़ तथा ₹112 करोड़ तक कम हुआ।

⁴ शीर्ष 0050.00.101 के अंतर्गत 2016-17 के दौरान ₹53,194.91 करोड़ - 2015-16 हेतु ₹39,896.94 करोड़

लाभांश एवं लाभ के माध्यम से प्राप्त गैर-कर राजस्व के ब्यौरे तालिका 1.10 में दिये गये हैं। यह 2015-16 में ₹1,12,136 करोड़ से 2016-17 में ₹1,23,021 करोड़ तक बढ़ा।

तालिका 1.10: लाभांश एवं लाभ का संघटन

(₹ करोड़ में)

अवधि	आरबीआई से अधिशेष लाभ का अंश	सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश	राष्ट्रीयकृत बैंको से लाभ का अंश	अन्यों से लाभांश	कुल लाभांश एवं लाभ	गैर कर राजस्व
2012-13	16010 (5.15)	30630 (9.85)	5656 (1.82)	1466 (0.47)	53762	310977
2013-14	33010 (8.31)	47333 (11.92)	8184 (2.06)	1915 (0.48)	90442	397028
2014-15	52679 (12.50)	32996 (7.83)	2456 (0.58)	1730 (0.41)	89861	421582
2015-16	65896 (13.55)	39897 (8.20)	4214 (0.87)	2129 (0.44)	112136	486462
2016-17	65876 (12.97)	53195 (10.47)	1445 (0.28)	2505 (0.49)	123021	508020

कोष्ठक में आकड़े गैर-कर राजस्व की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश, 2015-16 में ₹39,897 करोड़ (गैर कर राजस्व का 8.20 प्रतिशत) से 2016-17 में ₹53,195 करोड़ (गैर-कर राजस्व का 10.47 प्रतिशत) तक बढ़ा। तथापि, आरबीआई से अधिशेष लाभ का अंतरण जो कि 2015-16 में ₹65,896 करोड़ (गैर-कर राजस्व का 13.55 प्रतिशत) था 2016-17 में ₹65,876 करोड़ (गैर कर राजस्व का 12.97 प्रतिशत) तक कम हुआ।

सरकारी लेखा 'जैसा तथा जब प्राप्त हो' के आधार पर लेन-देनों की पहचान करता है। संघ सरकार (अप्रैल-मार्च) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (जुलाई-जून) के वित्त वर्ष में अंतर के कारण 30 जून 2016 को समाप्त वर्ष हेतु घोषित ₹65,876 करोड़ के आरबीआई अधिशेष को 2016-17 में स्वीकृत किया गया है। तथापि, आरबीआई द्वारा आरबीआई के वि.व. 2016-17 (1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017) हेतु घोषित अधिशेष को वर्ष 2017-18 हेतु भारत सरकार के वित्त लेखे में दर्शाया जाएगा। जैसा नीचे तालिका 1.10ए से देखा जा सकता है कि आरबीआई से 30 जून 2017 को समाप्त इसके वित्त वर्ष हेतु अधिशेष लाभ का अंश 30 जून 2016 को समाप्त वित्त वर्ष में ₹65,876 करोड़ से ₹30,663 करोड़ तक कम हुआ। आरबीआई द्वारा देय अधिशेष में कमी इसकी आय में कमी के साथ-साथ मुद्रा नोटों के मुद्रण पर व्यय में वृद्धि तथा आरबीआई आकस्मिकता निधि को अंतरण के कारण थी।

31 मार्च 2018 को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष तक आरबीआई की निवल आय, व्यय एवं संघ सरकार को अधिशेष अंतरण के विवरण नीचे तालिका 1.10ए में दिया गया है।

तालिका 1.10ए : आरबीआई द्वारा अंतरित अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14*	2014-15*	2015-16*	2016-17*	2017-18*
आरबीआई की निवल आय आरबीआई का वित्त वर्ष (1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017)	45564	64617	79256	80870	61818
व्यय	12549	11934	13356	14990	31155
संघ सरकार को अंतरित अधिशेष सरकारी वित्त वर्ष (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018)	33010	52679	65896	65876	30663

संघ सरकार के वित्त वर्ष के संदर्भ में

1.2.8 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों से विविध पूंजीगत प्राप्तियों (बोनस शेयर, विनिवेश आदि) तथा ऋण एवं अग्रिमों की वसूली से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां बनती हैं। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान, बीई की तुलना में विविध पूंजीगत प्राप्तियों में कमी थी। दूसरी ओर, उसी अवधि के दौरान, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, बीई से काफी अधिक थी (तालिका 1.11)।

तालिका 1.11: गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति से वसूली

अवधि	विविध पूंजीगत प्राप्ति			ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली		
	बीई	वास्तविक*	वास्तविक की	बीई	वास्तविक	वास्तविक की
	(₹ करोड़ में)		बीई से प्रतिशतता	(₹ करोड़ में)		बीई से प्रतिशतता
2012-13	30000	25408	84.69	23095	26624	115.28
2013-14	55814	29368	52.62	22054	24549	111.31
2014-15	63425	37737	59.50	22817	26547	116.35
2015-16	69500	42132	60.62	22714	41878	184.37
2016-17	56500	46249	81.86	22495	40971	182.13

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं संघ सरकार के वित्त लेखे


*बोनस शेयरों से प्राप्तियां शामिल नहीं हैं

विनिवेश विविध पूंजीगत प्राप्ति का प्रमुख भाग बनाता है। चार्ट 1.4 दर्शाता है कि केवल चार इकाईयों अर्थात् एनएमडीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने ₹35,470.16 करोड़ की विनिवेश प्राप्तियों में 57.43 प्रतिशत (₹20,371.73 करोड़) का योगदान दिया था।

अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जिनके शेयरों का विनिवेश किया गया था, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) (₹2,831.71 करोड़, 7.98 प्रतिशत), एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (₹2,201.14 करोड़, 6.21 प्रतिशत) तथा अन्य⁵ (₹10,065.58 करोड़, 28.38 प्रतिशत) थे।

चार्ट 1.4 विनिवेश प्राप्तियों के संघटक

(₹ करोड़ में)



1.2.9 निवेशों पर रिटर्न

सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों की संख्या। वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त लाभांश सहित मंत्रालय/विभाग-वार विवरण नीचे तालिका 1.12 में दिए गए हैं।

⁵ अन्य में आईओसीएल, एनटीपीसी, एचसीएल, एमओआईएल, इंजीनियर्स इंडिया, कोनकोर, डीसीआईएल, नेयवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि., गैल, ओएनजीसी, पीएफसी, आरईसी, ऑयल इंडिया, आदि शामिल है।

तालिका 1.12: लाभांश का भुगतान करने वाले सीपीएसई की संख्या

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	सीपीएसई की संख्या	प्राप्त लाभांश	मंत्रालय/विभाग	सीपीएसई की संख्या	प्राप्त लाभांश
नागर विमानन एवं पर्यटन	4	1063	कोयला	3	11018
वित्त	9	3911	उद्योग	4	238
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	8	19442	नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा	2	102
इस्पात एवं खान	8	8283	पोत परिवहन	3	133
रेल	8	1406	शहरी मामले	3	344
रक्षा	8	1773	परमाणु उर्जा	3	692
विद्युत	8	8262*	अन्य **	37	67741
कुल				108	124408

स्त्रोत: संघ सरकार के वित्त लेखाओं की विवरणी सं. 11

* ₹25 करोड़ के लाभांश डीओएनईआर से संबंधित है।


**अन्य में राज्य सहकारी बैंक/संस्थान और अन्य इकाईयां शामिल हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान, संघ सरकार ने 342 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) में ₹6,68,744.42 करोड़ के कुल निवेश के एवज में 108 सरकारी कंपनियों एवं निगमों से ₹1,24,408 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया जो कि 31 मार्च 2017 को निवेश का 18.60 प्रतिशत था। 31 मार्च 2017 को प्रगामी कुल निवेश 31 मार्च 2016 के ₹6,07,604.78 करोड़ से बढ़कर ₹6,68,744.42 करोड़ हो गया। लाभांश के प्रमुख अंशदाता भारतीय रिजर्व बैंक (₹65,876 करोड़), कोल इंडिया लिमिटेड (₹9,771 करोड़), हिन्दुस्तान जिंक लि. (₹6,664 करोड़), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. (₹6,554 करोड़), भारतीय तेल निगम लि. (₹6,231 करोड़), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (₹3,098 करोड़), एनटीपीसी लि. (₹2,507 करोड़), जीवन बीमा निगम (₹2,502 करोड़), राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम लि. (एनएचपीसी) (₹1,881 करोड़), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (₹1,777 करोड़), राष्ट्रकृत बैंक (₹1,445 करोड़), नेयवली लिगनाईट कॉर्पोरेशन लि. (₹1,183 करोड़), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (₹1,126 करोड़) तथा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (₹1,042 करोड़) थे।

1.3 व्यय विश्लेषण

भारत की समेकित निधि तथा लोक लेखा से कुल संवितरण 2016-17 में ₹91,03,892 करोड़ के थे, जैसा कि बॉक्स 1.2 में दर्शाया गया है।

बॉक्स 1.2: कुल संवितरणों के संघटक



वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल संवितरण 2015-16 में ₹69,66,982 करोड़ की तुलना में 30.67 प्रतिशत तक बढ़े। ₹91,03,892 करोड़ के कुल संवितरण में से सीएफआई से संवितरण 87.01 प्रतिशत (लोक ऋण का पुनर्भुगतान के प्रति 62.38 प्रतिशत तथा सीएफआई से कुल व्यय 24.63 प्रतिशत) था। शेष 12.99 प्रतिशत संवितरण लोक लेखा से था। लोक लेखा का सहयोग 2015-16 में 16.13 प्रतिशत था जो 2016-17 में 12.99 प्रतिशत तक कम हुआ।

तालिका: 1.13 दर्शाती है कि कुल संवितरणों में सीएफआई (लोक ऋण का पुनर्भुगतान शामिल नहीं है) से कुल व्यय का अंश 2015-16 में 30.22 प्रतिशत से 2016-17 में 24.63 प्रतिशत तक कम हुआ है, जबकि सुनिश्चित शर्त में यह ₹1,36,834 करोड़ तक बढ़ा।

तालिका 1.13: कुल संवितरण के विभिन्न घटकों का अंश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल संवितरण के घटक					
ऋण का पुनर्भुगतान	3426893 (60.27)	3511291 (59.11)	3707700 (56.70)	3737657 (53.65)	5678823 (62.38)
लोक लेखा से संवितरण	656403 (11.54)	654239 (11.01)	922899 (14.11)	1123658 (16.13)	1182568 (12.99)
सीएफआई से कुल व्यय (टीई)	1602918 (28.19)	1774941 (29.88)	1909144 (29.19)	2105667 (30.22)	2242501 (24.63)
सीएफआई से कुल व्यय के घटक					
राजस्व व्यय (आरई)	1420473 (88.62)	1575097 (88.74)	1695137 (88.79)	1779529 (84.51)	1933018 (86.20)
पूँजीगत व्यय (सीई)	150382 (9.38)	168844 (9.51)	172085 (9.01)	278866 (13.24)	249472 (11.12)
ऋण व अग्रिम (एलए)	32063 (2.00)	31000 (1.75)	41922 (2.20)	47272 (2.24)	60011 (2.68)

कोष्ठक में आंकड़े कुल संवितरण/कुल व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

कुल संवितरण में लोक ऋण के पुनर्भुगतान का अनुपात 2015-16 में 53.65 प्रतिशत से 2016-17 में 62.38 प्रतिशत तक बढ़ा है। कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय 2015-16 के दौरान 84.51 प्रतिशत से 2016-17 में 86.20 प्रतिशत तक बढ़ा जबकि पूँजीगत व्यय उसी अवधि के दौरान 13.24 प्रतिशत से 11.12 प्रतिशत तक कम हुआ।

1.3.1 क्षेत्रीय व्यय

संघ सरकार के लेखाओं में व्यय को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। फिर इन्हें तीन क्षेत्रों नामतः सामान्य सेवायें, सामाजिक सेवायें एवं आर्थिक सेवायें में समूहित किया जाता है।

तालिका 1.14 क्षेत्रीय व्यय के विवरण प्रस्तुत करती है। कुल व्यय के संबंध में सामान्य सेवाओं ने 2012-13 में 47.42 प्रतिशत से 2016-17 में 53.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई जबकि आर्थिक सेवाओं पर व्यय 40 से 44 प्रतिशत के बीच रहा है। सामाजिक सेवाओं में व्यय अंश 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए 10 प्रतिशत से नीचे रहा।

तालिका 1.14: संघ सरकार का क्षेत्रीय व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य सेवाएं		सामाजिक सेवाएं		आर्थिक सेवाएं		कुल
	राशि	कुल व्यय की % के रूप में	राशि	कुल व्यय की % के रूप में	राशि	कुल व्यय की % के रूप में	
2012-13	666406	47.42	124725	8.87	614306	43.71	1405437
2013-14	767915	49.14	142426	9.12	652316	41.74	1562657
2014-15	843093	54.16	68663	4.41	645003	41.43	1556759
2015-16	896486	50.56	100682	5.68	775879	43.76	1773047
2016-17	1025561	53.07	116023	6.01	790729	40.92	1932313

नोट:- क्षेत्रीय वर्गीकरण में विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, सं.शा.क्षे. सरकारों को कर्ज तथा सहायता अनुदान के कारण राजस्व व्यय जो किसी विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, शामिल नहीं है।

1.3.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय वह वर्तमान व्यय है, जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता। कार्यों के अनुसार, राजस्व व्यय को सामान्य सेवाओं (प्रशासन तथा रक्षा शामिल है), सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें सहायता अनुदान (जीआईए) तथा राज्यों, संघ शासित प्रदेशों एवं विदेशी सरकारों को अंशदान भी शामिल है। नीचे तालिका 1.15 राजस्व व्यय के क्षेत्रीय संघटक प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.15: राजस्व व्यय के क्षेत्रीय संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	सामान्य सेवाएं	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	जीआईए एवं योगदान	कुल
2012-13	586927 (41.32)	116712 (8.22)	535434 (37.69)	181400 (12.77)	1420473 (100)
2013-14	679852 (43.16)	133981 (8.51)	561860 (35.67)	199404 (12.66)	1575097 (100)
2014-15	752908 (44.42)	59437 (3.50)	544682 (32.13)	338109 (19.95)	1695137 (100)
2015-16	804758 (45.22)	88444 (4.97)	569645 (32.01)	316682 (17.80)	1779529 (100)
2016-17	926181 (47.92)	97210 (5.03)	618626 (32.00)	291001 (15.05)	1933018 (100)
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)					
2012-13	12.58	4.60	8.74	0.84	8.83
2013-14	15.83	14.80	4.94	9.93	10.89
2014-15	10.75	-55.64	-3.06	69.56	7.62
2015-16	6.89	48.80	4.58	-6.34	4.98
2016-17	15.09	9.91	8.60	-8.11	8.63

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राजस्व व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

राजस्व व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 2012-13 से बढ़ता रहा है। इसने 2012-13 में 41.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की तथा 2016-17 में 47.92 प्रतिशत पर पहुंचा। आर्थिक सेवाओं में घटती हुई प्रवृत्ति है तथा राजस्व व्यय को इसका अंश 2012-13 में 37.69 प्रतिशत से 2016-17 में 32 प्रतिशत तक कम हुआ। इसी प्रकार, सामाजिक सेवाओं का अंश सगंत अवधि हेतु 8.22 प्रतिशत से 5.03 प्रतिशत तक कम हुआ है।

राजस्व व्यय 2015-16 में 4.98 प्रतिशत से 2016-17 में 8.63 प्रतिशत बढ़ गया। 'जीआईए तथा अंशदान' पर व्यय में 2014-15 में 69.56 प्रतिशत की वृद्धि थी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में, जीआईए तथा अंशदान पर व्यय में 8.11 प्रतिशत की कमी आई। पिछले वर्ष में वृद्धि भी ऋणात्मक (-6.34 प्रतिशत) थी।

(ए) सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय

तालिका 1.16, 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान सेवाओं के मुख्य संघटकों पर व्यय तथा उनकी वार्षिक वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.16: सामान्य सेवाओं के संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं	रक्षा सेवाएं	अन्य	कुल
2012-13	330171	47201	80766	116485	12304	586927
2013-14	395200	53509	87552	129890	13701	679852
2014-15	425098	59698	107911	145146	15055	752908
2015-16	457270	66286	111285	151600	18317	804758
2016-17	504512	77510	149237	173025	21897	926181
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
2012-13	15.05	11.60	10.83	8.23	6.50	12.58
2013-14	19.70	13.36	8.40	11.51	11.35	15.83
2014-15	7.57	11.57	23.25	11.75	9.88	10.75
2015-16	7.57	11.04	3.13	4.45	21.67	6.89
2016-17	10.33	16.93	34.10	14.13	19.55	15.09

ब्याज भुगतान पर व्यय सामान्य सेवाओं का 54.47 प्रतिशत बनता है। ब्याज भुगतान पर व्यय ने ₹47,242 करोड़ अर्थात् 2015-16 से 10.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई थी। रक्षा सेवाओं का अंश सामान्य सेवाओं का 18.68 प्रतिशत है तथा इसकी वार्षिक वृद्धि 2015-16 में 4.45 प्रतिशत के प्रति 2016-17 में 14.13 प्रतिशत है।

पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाओं के मामले में व्यय, 2015-16 में ₹1,11,285 करोड़ था जो 2016-17 में ₹1,49,237 करोड़ (₹37,952 करोड़ की स्पष्ट वृद्धि) तक बढ़ा। पेंशन भुगतान में काफी अधिक वृद्धि के कारण सामान्य सेवाओं पर कुल व्यय के प्रति पेंशन पर व्यय का अंश 2015-16 में 13.83 प्रतिशत से 2016-17 में 16.11 प्रतिशत तक बढ़ा। वार्षिक वृद्धि भी 2015-16 में 3.13 प्रतिशत से 2016-17 में 34.10 प्रतिशत तक हुई। पेंशन पर व्यय की अधिक वृद्धि रक्षा एक-पद-एक पेंशन (ओआरओपी) के कारण तथा सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण भी है।

(बी) सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय

सामाजिक सेवाओं पर व्यय में शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, एससी, एसटी एवं ओबीसी का कल्याण; श्रम एवं श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, पोषण तथा प्राकृतिक आपदा हेतु राहत शामिल है। नीचे तालिका 1.17 सामाजिक सेवाओं पर संघ सरकार की प्राथमिकता तथा राजस्व व्यय के साथ-साथ उनकी सेवाओं में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.17: सामाजिक सेवाओं के संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	अन्य	कुल
2012-13	62741	22460	19503	348	11660	116712
2013-14	68480	26824	22358	606	15713	133981
2014-15	30636	1899	11142	1564	14196	59437
2015-16	33038	4654	13202	3377	34173	88444
2016-17	37880	13291	16943	2584	26512	97210

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

अवधि	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	अन्य	कुल
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
2012-13	9.59	4.96	-0.12	-47.27	-8.48	4.60
2013-14	9.15	19.43	14.64	74.14	34.76	14.80
2014-15	-55.26	-92.92	-50.17	158.09	-9.65	-55.64
2015-16	7.84	145.08	18.49	115.92	140.72	48.80
2016-17	14.66	185.58	28.34	-23.48	-22.42	9.91

सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण व्यय गतिविधि शिक्षा, खेल तथा संस्कृति है। फिर भी, सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय में इसका अंश 2012-13 में 53.76 प्रतिशत से 2016-17 में 38.97 प्रतिशत तक कम हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में व्यय ने 2016-17 में क्रमशः 14.66 प्रतिशत, 185.58 प्रतिशत तथा 28.34 प्रतिशत की वृद्धि देखी।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास के मामले में वृद्धि 2015-16 तथा 2016-17 में 100 प्रतिशत से अधिक थी। यह राष्ट्रीय स्वच्छता कोष को ₹10,000 करोड़ के अंतरण तथा स्थानीय निकायों/शहर सुधार निकायों को सहायता पर व्यय में वृद्धि के कारण 2016-17 में 185.58 प्रतिशत थी।

(सी) आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय

आर्थिक सेवाओं के संघटकों पर राजस्व व्यय में प्रवृत्तियों के साथ-साथ 2012-17 के दौरान उनकी वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियों को तालिका 1.18 में प्रस्तुत किया गया है। यह ऊर्जा, उद्योग, परिवहन तथा कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र में संघ सरकार द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता दर्शाती है।

तालिका 1.18: आर्थिक सेवाओं के संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	परिवहन	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	ऊर्जा	उद्योग एवं खनिज	अन्य	कुल
2012-13	158525	153714	105680	34775	82740	535434
2013-14	174475	159327	96622	40969	90467	561860
2014-15	190721	170066	75014	52990	55891	544682
2015-16	201625	202375	42475	53204	69966	569645
2016-17	197257	165331	48406	74591	133041	618626
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
2012-13	6.56	8.18	27.17	(-)1.74	(-)0.37	8.74
2013-14	10.06	3.65	(-)8.57	17.81	9.34	4.94
2014-15	9.31	6.74	(-)22.36	29.34	(-)38.22	(-)3.06
2015-16	5.72	19.00	(-)43.38	0.40	25.18	4.58
2016-17	(-)2.17	(-)18.30	13.96	40.20	90.15	8.60

ऊर्जा क्षेत्र में सरकार के व्यय ने 2015-16 में 43.38 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के प्रति 2016-17 में 13.96 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह प्राथमिक रूप से संघ सरकार के अपने दो कार्यों नामतः 'नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा' तथा 'विद्युत' पर व्यय के कारण 2016-17 में क्रमशः ₹6,249.30 करोड़ तथा ₹2,150.89 करोड़ तक बढ़े थे। हालांकि, आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में ऊर्जा क्षेत्र का अंश 2012-13 में 19.74 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 7.82 प्रतिशत हो गया था।

उद्योग तथा खनिज क्षेत्र में व्यय ने 2015-16 में 0.40 प्रतिशत की वृद्धि से 2016-17 में 40.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की क्योंकि 'उद्योग' में व्यय उर्वरक आर्थिक सहायता तथा उपभोक्ता उद्योग पर अधिक व्यय के कारण 2015-16 में ₹53,204 करोड़ से 2016-17 में ₹74,591 करोड़ तक पर्याप्त रूप से बढ़ा।

दूसरी ओर, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं तथा परिवहन क्षेत्रों में व्यय में 2016-17 में क्रमशः 18.30 प्रतिशत तथा 2.17 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई। कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के मामले में ऋणात्मक वृद्धि फसल उत्पादन में 31 प्रतिशत तक तथा खाद्य भण्डारण एवं वेयरहाउसिंग में 18 प्रतिशत तक व्यय में कटौती के कारण थी। परिवहन हेतु ऋणात्मक वृद्धि सामान्य रिजर्वों से भुगतानों तथा रेलवे आधिकार्यों से विनियोग में कटौती के कारण थी। आर्थिक सेवाओं पर व्यय के अनुसार, अति महत्वपूर्ण व्यय मद परिवहन है। इसका

अंश 2012-13 में 29.61 प्रतिशत था जो 2015-16 में 35.39 प्रतिशत तक बढ़ा तथा 2016-17 में 31.89 प्रतिशत तक कम हुआ।

1.3.2.1 प्रमुख राजस्व व्यय की प्रवृत्ति

(ए) ब्याज भुगतान:

यह शीर्ष लोक ऋण पर ब्याज (दोनों आंतरिक तथा बाह्य) तथा सरकार की अन्य ब्याज वहन करने वाली देयताओं के भुगतान का प्रावधान करता है जिसमें बीमा एवं पेंशन निधियां, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा तथा विभिन्न कम्पनियों एवं निगमों को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज शामिल हैं। इसमें ऋण की कटौती अथवा परिहार पर व्यय को भी शामिल किया गया है। राजस्व व्यय के प्रति ब्याज भुगतान का अनुपात वर्तमान वर्ष में 26.10 प्रतिशत रहा (नीचे तालिका 1.19)। राजस्व प्राप्तियों के संबंध में, ब्याज भुगतान का औसतन अंश 2012-13 से 2016-17 के दौरान 31.75 प्रतिशत था।

तालिका 1.19: राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान


(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज भुगतान (आईपी)	राजस्व प्राप्त (आरआर)	राजस्व व्यय (आरई)	आईपी की वृद्धि	आईपी का आरआर को अंश	आरई को आईपी अंश
	(₹ करोड़ में)			(प्रतिशत में)		
2012-13	330171	1055891	1420473	15.05*	31.27	23.24
2013-14	395200	1217793	1575097	19.70	32.45	25.09
2014-15	425098	1328910	1695137	7.57	31.99	25.08
2015-16	457270	1436160	1779529	7.57	31.84	25.70
2016-17	504512	1615988	1933018	10.33	31.22	26.10

*वर्ष 2011-12 में ब्याज भुगतान पर व्यय ₹2,86,982 करोड़ था।

2016-17 में किए गए ब्याज भुगतान के घटक नीचे चार्ट 1.5 में दर्शाए गए हैं। आंतरिक ऋण के कारण ब्याज भुगतान कुल ब्याज भुगतानों (₹5,04,512 करोड़) का 89 प्रतिशत (₹4,48,928 करोड़) था।

चार्ट 1.5: ब्याज व्यय के प्रमुख घटक



शून्य प्रतिशत 0.5 प्रतिशत से कम दर्शाती है।

(बी) पेंशन भुगतान

तालिका 1.20 दर्शाती है कि पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 2015-16 में ₹1,32,880 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹1,79,411 करोड़ हो गया अर्थात् पिछले वर्ष से 2016-17 में 35 प्रतिशत की वृद्धि। रक्षा पेंशन 2016-17 में कुल पेंशन भुगतान (₹1,79,411 करोड़) की 48.95 प्रतिशत बनी जिसने पिछले वर्ष से 45.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। पांच वर्षों की अवधि के दौरान, रक्षा पेंशन भुगतान कुल पेंशन भुगतान के 43-49 प्रतिशत के बीच रहा।

तालिका 1.20: पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रक्षा	सिविल	रेलवे	डाक	कुल
2012-13	43368 (45.91)	26111 (27.64)	21021 (22.25)	3968 (4.20)	94468
2013-14	45499 (43.71)	29397 (28.24)	24761 (23.79)	4443 (4.27)	104100
2014-15	60450 (47.49)	33161 (26.05)	28642 (22.50)	5034 (3.95)	127287
2015-16	60238 (45.33)	36533 (27.49)	30701 (23.10)	5408 (4.07)	132880
2016-17	87826 (48.95)	43575 (24.29)	40463 (22.55)	7547 (4.21)	179411
वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)					
2012-13	एनए	एनए	एनए	एनए	
2013-14	4.91	12.58	17.79	11.97	10.20
2014-15	32.86	12.80	15.67	13.30	22.27
2015-16	-0.35	10.17	7.19	7.43	4.39
2016-17	45.80	19.28	31.80	39.55	35.02

स्रोत: सिविल तथा रक्षा पेंशन हेतु आंकड़े वित्त लेखे (मुख्य शीर्ष 2071) से हैं। रेलवे तथा डाक हेतु आंकड़े उनके विनियोग लेखे से हैं।

रेलवे तथा डाक के मामले में पेंशन भुगतान 2016-17 के दौरान क्रमशः 31.80 प्रतिशत तथा 39.55 प्रतिशत तक बढ़ा। सिविल पेंशन ने कुल पेंशन का 24.29 प्रतिशत होने से, उसी अवधि के दौरान 19.28 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की।

1.3.2.2 आर्थिक सहायता प्रबन्धन

आर्थिक सहायताएं न केवल सुस्पष्ट रूप से, अर्थात् बजट के माध्यम से, बल्कि लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करके भी प्रदान की जाती हैं जिन्हें अंतर्निहित आर्थिक सहायता कहा जाता है। तालिका 1.21 आर्थिक सहायताओं जिसे सरकार ने बजट के माध्यम से सुस्पष्ट रूप से प्रदान किया था, की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.21: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक सहायता

अवधि	खाद्य	उर्वरक@ (यूरिया)	उर्वरक# (विनियंत्रित)	पेट्रोलियम आर्थिक सहायता	अन्य *	कुल आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता जीडीपी के प्रतिशत के रूप में	आर्थिक सहायता राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में
		(₹ करोड़ में)						प्रतिशतता
2012-13	85000 (16.72)	35132 (3.56)	30576 (-15.32)	96880 (41.47)	9591 (46.05)	257179 (18.03)	2.59	18.11
2013-14	92000 (8.24)	38038 (8.27)	29427 (-3.76)	85378 (-11.87)	9902 (3.24)	254745 (-0.95)	2.27	16.17
2014-15	117671 (27.90)	50423 (32.56)	20667 (-29.77)	60269 (-29.41)	9269 (-6.39)	258299 (1.40)	2.08	15.24
2015-16	139419 (18.48)	50478 (0.11)	21938 (6.15)	29999 (-50.22)	16637 (79.49)	258471 (0.07)	1.89	14.52
2016-17	110173 (-20.98)	51257 (1.54)	15056* (-31.37)	27539 (-8.20)	28777 (72.98)	232802 (-9.93)	1.53	12.04

@ देशी एवं आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

विनियंत्रित उर्वरकों हेतु दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है। 2011-12 से यह पोषक तत्व आधारित आर्थिक सहायता है। कोष्ठक में आंकड़े वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

* अन्य में ब्याज आर्थिक सहायता, उपभोक्ता कार्य विभाग में मूल्य स्थिरीकरण निधि, खाद्य अनाज की गतिविधि तथा एनएफएसए के अंतर्गत एफपीएस विक्रेता लाभ आदि शामिल हैं।


इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय का बड़ा हिस्सा खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम आर्थिक सहायताओं के प्रति है जो मुख्य आर्थिक सहायताओं की श्रेणी के अंतर्गत है। मुख्य श्रेणियों के सभी घटक, 'अन्य' को छोड़कर पिछले वर्ष से कम हुए। विशेषतः पेट्रोलियम आर्थिक सहायता 2012-13 से मंद रही है तथा 2012-13 में ₹96,880 करोड़ से 2016-17 में ₹27,539 करोड़ तक कम हुई है। इसका परिणाम आर्थिक सहायता पर कुल व्यय को पिछले पांच वर्षों (2012-17) में इसके न्यूनतम स्तर पर रखने में हुआ। तथापि, शीर्ष अन्य के अंतर्गत व्यय ने 2016-17 में ब्याज आर्थिक सहायता पर व्यय (₹17,000 करोड़), उपभोक्ता कार्य विभाग में मूल्य स्थिरीकरण निधि (₹6,900 करोड़), एनएफएसए के अंतर्गत खाद्य अनाज की गतिविधि तथा एफपीएस विक्रेता लाभ (₹2,500 करोड़) में वृद्धि के कारण 2015-16 से 73 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई।

कुल आर्थिक सहायता 2014-15 तथा 2015-16 में लगभग एक ही स्तर पर थी परंतु 2015-16 में ₹2,58,471 करोड़ से 2016-17 में ₹2,32,802 करोड़ तक कम हुई तथा उसने 2016-17 में 9.93 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की। 2016-17 में सूचित आर्थिक सहायता का स्तर पिछले पांच वर्षों में सबसे कम था।

उसी राजस्व व्यय में आर्थिक सहायता पर व्यय का अंश 18.11 प्रतिशत से 12.04 प्रतिशत तक कम हो गया था। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, आर्थिक सहायताओं पर व्यय 2012-13 में 2.59 प्रतिशत से 2016-17 में 1.53 प्रतिशत तक कम हो गया था।

चार्ट 1.6 आर्थिक सहायताओं के विभिन्न घटकों का हिस्सा प्रस्तुत करता है। वर्ष 2016-17 में ₹2,32,802 करोड़ की कुल आर्थिक सहायता व्यय में से 47.32 प्रतिशत खाद्य पर, 28.48 प्रतिशत उर्वरक पर, 11.83 प्रतिशत पेट्रोलियम पर तथा 12.36 प्रतिशत अन्य आर्थिक सहायताओं पर था।

चार्ट 1.6: सुस्पष्ट आर्थिक सहायता के घटक



खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम के क्षेत्रों में कार्यरत निगम तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए प्राप्य संबंधित मंत्रालयों से पूर्ण सूचना के अभाव में संघ सरकार द्वारा की गई आर्थिक सहायता प्रतिपूर्तियों के साथ सहसंबंधित थे। फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल ट्रावणकोर लि. (एफएसीटी), बहमापुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन (बीवीएफसीएल), राष्ट्रीय उर्वरक लि. (एनएफएल), राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक (आरसीएफ) लि., खाद्य तथा सार्वजनिक संवितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के लेखाओं की जांच की गई और इस लेखापरीक्षा के दौरान सहसंबंध स्थापित किया गया था।

इस जांच ने उजागर किया कि ₹1,03,331.52 करोड़ के आर्थिक सहायता दावे (एफसीआई को ₹92,254.48 करोड़, पेट्रोलियम क्षेत्रों में ₹71,74.26 करोड़ और उर्वरक को ₹3,902.78 करोड़) वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान संघ सरकार द्वारा अदा नहीं किए गए हैं जैसा अनुबंध 1.1 में दर्शाया गया है। ₹1,03,331.52 करोड़ के आंकड़ों की, इस संख्या को निकालते समय 2016-17 की अंतिम तिमाही के दौरान सरकार को प्रस्तुत दावे बाहर रखे गए हैं। यदि वित्त वर्ष के दौरान तीन तिमाहियों के इन दावों का भुगतान किया गया होता तो आर्थिक सहायता पर कुल व्यय ₹1,03,331.52 करोड़ से अधिक होता। इस संख्या को हिसाब में लेकर, आर्थिक सहायताओं पर व्यय 2016-17 में 1.53 प्रतिशत के प्रति 2016-17 में जीडीपी का 2.21 प्रतिशत होता। इसके अतिरिक्त, यदि चौथी तिमाही के दावों के अतिरिक्त कुल ₹1,87,863.42 करोड़ के बकाया आर्थिक सहायता दावे विगत अप्रदत्त दावों सहित

कुल जोड़ में लिए जाते तब 2016-17 में कुल आर्थिक सहायता व्यय ₹4,20,665 करोड़ प्रस्तुत किया गया होता जो जीडीपी का 2.77 प्रतिशत बनता है।

1.3.3 पूंजीगत व्यय

तालिका 1.22 में परिसंपत्ति सृजन अथवा संघ सरकार के मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता तथा 2012-13 से 2016-17 की अवधि हेतु वृद्धि के वार्षिक दर को बढ़ाने के लिए किए गये पूंजीगत व्यय का सारांश दिया गया है।

तालिका 1.22: पूंजीगत व्यय के क्षेत्रीय घटक

(₹करोड़ में)

अवधि	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सामान्य सेवाएं	79479 (4.33)	88063 (10.80)	90185 (2.41)	91727 (1.71)	99380 (8.34)
रक्षा सेवाएं	70499 (3.82)	79125 (12.24)	81887 (3.49)	79958 (-2.36)	86371 (8.02)
पुलिस	6123 (10.85)	6417 (4.80)	6035 (-5.95)	9177 (52.06)	8949 (-2.48)
लोक निर्माण कार्य	1270 (13.74)	1431 (12.66)	1076 (-24.78)	1001 (-6.97)	1501 (49.95)
अन्य	1587 (-3.00)	1090 (-31.32)	1187 (8.90)	1591 (34.04)	2559 (60.84)
सामाजिक सेवाएं	5102 (11.32)	3813 (-25.26)	4875 (27.85)	5407 (10.91)	5315 (-1.70)
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	3100 (14.86)	1909 (-38.42)	2880 (50.86)	3496 (21.39)	2780 (-20.48)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1353 (18.58)	1280 (-5.40)	938 (-26.72)	1025 (9.28)	1384 (35.02)
अन्य	649 (-0.13)	624 (-3.86)	1057 (69.40)	886 (-16.18)	1151 (29.91)
आर्थिक सेवाएं	65801 (12.09)	76968 (16.97)	77025 (0.07)	181732 (135.94)	144777 (-20.33)
परिवहन	36361 (18.34)	48708 (33.96)	53154 (9.13)	68854 (29.54)	92446 (34.26)
उद्योग एवं खनिज	2305 (-11.31)	3230 (40.13)	4013 (24.26)	3634 (-9.44)	4140 (13.92)
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2438 (12.86)	3080 (26.33)	3188 (3.53)	4040 (26.73)	5230 (29.46)
ऊर्जा	1083 (-60.79)	733 (-32.36)	945 (28.92)	2105 (122.75)	4673 (122.00)

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

अवधि	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
अन्य	23614 (15.43)	21217 (-10.15)	15725 (-25.89)	103099 (555.64)	38288 (-62.86)
कुल	150382 (7.83)	168844 (12.28)	172085 (1.92)	278866 (62.05)	249472 (-10.54)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता में वृद्धि को दर्शाते हैं

पूँजीगत व्यय ₹29,394 करोड़ तक कम हुआ तथा पिछले 10.54 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की और यह 2016-17 में ₹2,49,472 करोड़ पर रहा। इसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश 2015-16 के 13.24 प्रतिशत से 2016-17 में 11.12 प्रतिशत तक कम हुआ (तालिका 1.13)।

आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय ने 2015-16 में 135.94 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति 2016-17 में 20.33 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि देखी। भारी कमी मुख्यतः आर्थिक सेवाओं के 'अन्य' क्षेत्र, जहां पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹64,811 करोड़ (-62.86 प्रतिशत) तक कम हुआ, को आरोपनीय थी।

सामान्य सेवाओं के अंतर्गत, 'अन्य' के अंतर्गत पूँजीगत व्यय ने विगत वर्ष से 60.84 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

1.3.3.1 जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में व्यय (राजस्व+पूँजीगत)

जीडीपी से संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय इन क्षेत्रों को प्रदत्त सापेक्ष प्राथमिकताओं को इंगित करता है। 2012-13 से 2016-17 के दौरान, संघ सरकार का सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय कुल मिलाकर जीडीपी का 6.30 प्रतिशत था।

तालिका 1.23: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यय के मुख्य घटक

अवधि	परिवहन	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	उद्योग एवं खनिज	शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	जल आपूर्ति स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास
2012-13	1.96	1.56	0.37	0.63	0.21	0.26
2013-14	1.99	1.43	0.39	0.61	0.21	0.26
2014-15	1.96	1.37	0.46	0.25	0.10	0.04
2015-16	1.98	1.48	0.42	0.24	0.10	0.06
2016-17	1.91	1.10	0.52	0.25	0.12	0.11

तालिका 1.23 दर्शाती है कि जीडीपी के प्रति सामाजिक सेवाओं (अर्थात् शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य तथा जल आपूर्ति स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास) पर व्यय का अंश 2012-13 के दौरान 1.10 प्रतिशत से 2016-17 के दौरान 0.48 प्रतिशत तक कम हुआ है। आर्थिक सेवाओं (अर्थात् कृषि, परिवहन एवं उद्योग) पर व्यय का अंश 2012-13 में 3.89 प्रतिशत से 2016-17 में 3.53 प्रतिशत तक कम हुआ।

1.3.4 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण तथा सहायता

भारत में प्रचलित सहकारी संघवाद के अंतर्गत, वित्तीय संसाधन संघ सरकार से राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अनुच्छेद 270 के अंतर्गत संघ कर राजस्वों की कुल प्राप्तियों में तथा संविधान के अनुच्छेद 273, 275 और 293 के अंतर्गत राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान एवं ऋणों अंश के रूप में अंतरित किए जाते हैं।

चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) ने कर न्यागमन को राज्यों को संसाधनों के अंतरण हेतु प्राथमिक रास्ते की दृष्टि से देखा है। राज्यों की आवश्यकताओं की गणना करने में, एफएफसी ने योजनागत एवं गैर योजनागत अंतर को नजरअंदाज किया और 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक करों के विभाज्य पूल के संवर्धित न्यागमन को 'अनुदानों से कर न्यागमन के अंतरणों में उल्लेखनीय वृद्धि' के रूप में मान लिया गया था।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

वित्त वर्ष 2016-17 एफएफसी के पांच वर्ष (2015-16 से 2019-20) की अधिनिर्णय अवधि को शामिल करने वाला दूसरा वर्ष है। नीचे दी गई तालिका 1.24 2012-13 से 2016-17 के दौरान संघ से राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को संसाधनों का अंतरण का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.24 राज्यों/यूटी को अंतरण तथा सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों/यूटी को अंतरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015-16 की तुलना में अंतरण का अंतर
1.	राज्यों को सौंपे गए कर एवं शुल्क						
1.1	निगम कर	104964	107296	118235	159742	195439	22.35
1.2	आयकर	62840	70651	84431	110933	135831	22.44
1.3	सीमा शुल्क	48558	52054	54759	81248	84070	3.47
1.4	उत्पाद शुल्क	33000	36764	30920	67717	96001	41.77
1.5	सेवा कर	42007	51170	49141	86138	96209	11.69
1.6	अन्य कर	178	295	322	415	450	8.43
	राज्यों को सौंपे गए कर एवं शुल्क का कुल (1)	291547	318230	337808	506193	608000	20.11
2.	राज्यों/यूटी को अन्य सहायता						
2.1	अनुदान ⁷	177708	194119	333040	311196	285876	-8.14
2.2	कर्जे	14059	11090	12012	12576	17841	41.87
	कुल (2)	191767	205209	345052	323772	303717	-6.19
	कुल अंतरण(1+2)	483314	523439	682860	829965	911717	9.85
3.	सकल कर राजस्व को कुल अंतरण की %	40.63	45.96	54.84	57.01	53.13	-
4.	कुल व्यय के कुल अंतरण की %	30.15	29.49	35.77	39.42	40.66	-

उपर्युक्त तालिका 1.24 से यह देखा जा सकेगा कि राज्यों को कुल अंतरण 2015-16 की तुलना में 2016-17 में 20.11 प्रतिशत तक बढ़ा। तथापि, राज्यों/यूटी को सहायता अनुदान के रूप में अंतरण 8.14 प्रतिशत तक कम हुआ। राज्यों/यूटी के करों, अनुदान तथा कर्जों में अंश के रूप में कुल अंतरण तथा सहायता में 2015-16 में 21.54 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति 2016-17 में 9.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

⁷ वित्त लेखे की विवरणी सं. 9 को परिशिष्ट के अनुसार ₹3,04,745 करोड़ राज्य/यूटी सरकारों को जीआईए के रूप में 2016-17 में जारी किया गया था। तथापि, ₹2016-17 में मुख्य शीर्ष 3601 तथा 3602 के अंतर्गत दर्ज व्यय ₹2,85,876 करोड़ था।

संघ सरकार, वित्त लेखे 2016-17 में दर्शाए गए केन्द्रीय कर राजस्वों में अंश के रूप में राज्यों का अंतरण अनुच्छेद 279(1) के अंतर्गत अंतिम अन्वेषण एवं प्रमाणीकरण के अधीन है।

1.3.5 सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम

संघ सरकार फ्लैगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य विकास प्राथमिकताओं पर लक्ष्य कर रही है। जुलाई 2013 में, सरकार ने वर्तमान 137 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की और 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों सहित 66 योजनाओं में उन्हें पुनर्गठित किया। 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों, में से छः प्रमुख कार्यक्रमों का नीचे तालिका 1.25 में विश्लेषण किया गया है।

छः फ्लैगशिप योजनाओं पर व्यय बीई आंकड़ों से 2015-16 में 0.26 प्रतिशत तथा 2016-17 में 6.25 प्रतिशत तक अधिक था। 2016-17 में, इन फ्लैगशिप योजनाओं पर वास्तविक व्यय मनरेगस तथा आईएवाई के सिवाए बजट लक्ष्यों की तुलना में कम था।

तालिका 1.25: मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

		मनरेगस	एसएसए	एमडीएम	एनआरएचएम	आईएवाई	पीएमजीएसवाई	कुल
2012-13	बीई	33000	24243	11643	22799	11075	24000	126760
	वास्तविक	30274	23873	10849	18661	7869	8884	100410
	बीई से अंतर (प्रतिशत में)	(-)8.26	(-)1.53	(-)6.82	(-)18.15	(-)28.95	(-)62.98	(-)20.79
2013-14	बीई	33000	26358	12879	23148	15184	21700	132269
	वास्तविक	32993	24802	10918	19385	12982	9805	110885
	बीई से अंतर (प्रतिशत में)	(-)0.02	(-)5.90	(-)15.23	(-)16.26	(-)14.50	(-)54.82	(-)16.17
2014-15	प्रावधान	34000	27349	12828	10254	16000	9852	110283
	वास्तविक	32977	24068	10523	8468	11106	10738	97880
	बीई से अंतर (प्रतिशत में)	(-)3.01	(-)12.00	(-)17.97	(-)17.42	(-)30.59	8.99	(-)11.25
2015-16	बीई	35721	21295	8964	8219	10025	14048	98272
	वास्तविक	36269	21613	9145	7984	10116	13400	98527
	बीई से अंतर (प्रतिशत में)	1.53	1.49	2.02	(-)2.86	0.91	(-)4.61	0.26

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

		मनरेगस	एसएसए	एमडीएम	एनआरएचएम	आईएवाई	पीएमजीएसवाई	कुल
2016-17	बीई	38500	22500	9580	13437	15000	19000	118017
	वास्तविक	48215	21685	9475	12025	16071	17923	125394
	बीई से अंतर (प्रतिशत में)	25.23	(-)3.62	(-)1.10	(-)10.51	7.14	(-)5.67	6.25

मनरेगस= महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, एसएसए= सर्व शिक्षा अभियान, एमडीएम= मध्याह्न भोजन योजना, एनआरएचएम= राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आईएवाई= इंदिरा आवास योजना एवं पीएमजीएसवाई = प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

1.3.6 परिणाम बजट तथा लिंग बजटीकरण का विश्लेषण

(i) चयनित परिणाम बजटों का विश्लेषण

1. प्रस्तावना

परिणाम बजट प्रत्येक योजना के अंतर्गत व्यय की योजना करके तथा उपयुक्त लक्ष्यों को निर्धारित करके तथा डिलिवरेबल्स को निर्धारित करके परिव्ययों को परिणामों में परिवर्तित करने की मांग करता है। यह मंत्रालय के पिछले वर्षों के निष्पादन तथा वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित निष्पादन को दर्शाते हुए वित्तीय बजट के भौतिक परिणाम को परिभाषित करता है।

तीन मंत्रालयों अर्थात् पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय के वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों का लेखापरीक्षा में जांच हेतु चयन किया गया था। प्रत्येक मंत्रालय की दो योजनाओं के वित्तीय परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का विश्लेषण किया गया था जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

2. वित्तीय परिव्यय

(ए) पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय

2013-14 से 2016-17 हेतु दो योजनाओं (ए) राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) तथा (बी) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के वित्तीय परिव्यय का नीचे तालिका 1.26 में ब्यौरा दिया गया है:-

तालिका 1.26: एनआरडीडब्ल्यूपी तथा एसबीएम (जी) का वित्तीय परिव्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एनआरडीडब्ल्यूपी				एसबीएम (जी)			बीई से अंतर
	वित्तीय परिव्यय			बीई से अंतर	वित्तीय परिव्यय			
	बीई	आरई	वास्तविक		बीई	आरई	वास्तविक	
2013-14	11000	9700	9697.27	(-) 1302.73 (11.82)	4098	2299	2250.32	(-) 1847.68 (45.09)
2014-15	11000	9250	9242.76	(-) 1757.24 (15.91)	4260	2850	2840.99	(-) 1419.01 (33.31)
2015-16	2611	4373	4369.55	(+) 1758.55 (67.48)	2625	6525	6524.52	(+) 3899.52 (148.55)
2016-17	5000	6000	5982.16	(+) 1302.73 (20.00)	9000	10500	10509.03	(+) 1509.03 (16.77)

कोष्ठक में आकड़ें प्रतिशतता में अंतर को दर्शाते हैं।

एनआरडीडब्ल्यूपी में, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान वास्तविक व्यय बीई से क्रमशः 12 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत कम था। यह बीई में पिछले वर्ष की तुलना में कटौती के कारण वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान बीई से क्रमशः 67 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत तक अधिक था। एसबीएम (जी) में भी, समान व्यय प्रतिमान का अनुपालन किया गया था क्योंकि यह 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान बीई से क्रमशः 45 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक कम था। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान, यह बीई से क्रमशः 149 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत तक अधिक था।

(बी) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

2013-14 से 2016-17 तक की अवधि हेतु दो योजनाओं (ए) लघु जल विद्युत (एसएचपी) तथा (बी) बैंगसे कोग्नरेशन एण्ड बायोमास पावर (बीसीबीपी) के वित्तीय परिव्यय का नीचे तालिका 1.27 में ब्योरा दिया गया है:-

तालिका 1.27: एसएचपी तथा बीसीबीपी का वित्तीय परिव्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एसएचपी				बीसीबीपी			
	वित्तीय परिव्यय			अंतर	वित्तीय परिव्यय			अंतर
	बीई	आरई	वास्तविक		बीई	आरई	वास्तविक	
2013-14	134.5	123.18	122.82	(-) 11.68 (8.68)	84	34.54	34.53	(-) 49.47 (58.89)
2014-15	100	108	107.99	(+) 7.99 (7.99)	52.25	25	25	(-) 27.25 (52.15)
2015-16	100	105	104.99	(+) 4.99 (4.99)	45	29	28.03	(-) 16.97 (37.71)
2016-17	112	125	124.70	(+) 12.70 (11.34)	30	17	10.29	(-) 19.71 (65.70)

कोष्ठक में आकड़े प्रतिशतता में अंतर को दर्शाते हैं।

एसएचपी में, बीई से वास्तविक व्यय में कोई मुख्य अंतर नहीं पाया गया था। बीसीबीपी के मामले में, वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान बीई की तुलना में वास्तविक व्यय काफी कम रहा।

(सी) शहरी विकास मंत्रालय

2013-14 से 2016-17 तक की अवधि हेतु दो योजनाओं (ए) धरोहर शहर विकास तथा संवर्धन योजना (एचआरआईडीएवाई) तथा (बी) सात विशाल शहरों के आसपास सेटलाइट शहरों में शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसटी) का वित्तीय परिव्यय का नीचे तालिका 1.28 में ब्यौरा दिया गया है:-

तालिका सं. 1.28: एचआरआईडीएवाई एवं यूआईडीएसएसटी का वित्तीय परिव्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एचआरआईडीएवाई				यूआईडीएसएसटी			
	वित्तीय परिव्यय			अंतर	वित्तीय परिव्यय			अंतर
	बीई	आरई	वास्तविक		बीई	आरई	वास्तविक	
2013-14	एनए	एनए	एनए	एनए	78	70	69.03	(-) 8.97 (11.50)
2014-15	200	200	0.87	(-) 199.13 (99.57)	100	82	82.00	(-) 18 (18.00)
2015-16	200	200	27.26	(-) 172.74 (86.37)	100	70	70.00	(-) 30 (30.00)
2016-17	200	150	141.57	(-) 58.43 (29.22)	70	70	57.00	(-) 13 (18.57)
कुल	600	550	169.70		348	292	278.03	

कोष्ठक में आकड़े प्रतिशतता में अंतर को दर्शाते हैं।

वर्ष 2013-14 हेतु, एचआरआईडीएवाई के बीई तथा वास्तविक व्यय के आकड़े उपलब्ध नहीं थे क्योंकि हृदय योजना जनवरी 2015 में प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान योजना में ₹600 करोड़ के बीई के प्रति ₹169.70 करोड़ का कुल व्यय था। यूआईडीएसएसटी के मामले में, 2013-14 से 2016-17 के दौरान वास्तविक व्यय ₹57 करोड़ से ₹82 करोड़ के बीच रहा। इस अवधि के दौरान बीई की तुलना में वास्तविक व्यय में कमी 12 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच रही।

3 भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि

(ए) पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(i) एनआरडीडब्ल्यूपी

2013-14 से 2016-17 की अवधि हेतु दो योजनाओं अर्थात् (ए) राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) तथा (बी) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम-जी) के भौतिक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का क्रमशः तालिका 1.29 तथा तालिका 1.30 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 1.29: एनआरडीडब्ल्यूपी के भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

वर्ष	एनआरडीडब्ल्यूपी			
	उप-योजनाएं	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी
2013-14	गुणवत्ता प्रभावित आवासों में सुरक्षित जल के प्रावधान हेतु	22000	16,649	5,351 (24.32)
	आंशिक रूप में सम्मिलित आवासों में सुरक्षा जल प्रदान करने हेतु	75000	1,36,774	प्राप्त
2014-15	गुणवत्ता प्रभावित आवासों में सुरक्षित जल के प्रावधान हेतु	20000	15,588	4,412 (22.06)
	आंशिक रूप में सम्मिलित आवासों में सुरक्षा जल प्रदान करने हेतु	75000	1,20,529	प्राप्त
2015-16	ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित जल प्रदान करने हेतु	56941	8,841	48,100 (84.47)
2016-17	गुणवत्ता प्रभावित आवासों में सुरक्षित जल के प्रावधान हेतु	54000	29,482	24518 (45.40)
	आंशिक रूप में सम्मिलित आवासों में सुरक्षा जल प्रदान करने हेतु	8000	5,415	2585 (32.31)

कोष्ठक में आकड़े प्रतिशतता में अंतर को दर्शाते हैं।

आंशिक रूप से सम्मिलित आवासों में सुरक्षित जल प्रदान करने के लक्ष्य को केवल वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में जाकर ही प्राप्त किया गया था जबकि गुणवत्ता प्रभावित आवासों में सुरक्षित जल प्रदान करने के लक्ष्य को किसी भी वर्ष में प्राप्त नहीं किया गया था। वर्ष 2015-16 हेतु गुणवत्ता प्रभावित आवासों तथा आंशिक रूप से सम्मिलित आवासों में सुरक्षित जल प्रदान करने के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं थे।

(ii) एसबीएम (जी)

तालिका 1.30: एसबीएम (जी) के भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

वर्ष	एसबीएम (जी)			
	उप-योजनाएं	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी
2013-14	घरेलू शौचालय	6000000	4962000	1038000 (17.30)
	स्कूली शौचालय	70000	37645	32355 (46.22)
2014-15	घरेलू शौचालय	5000000	5884000	प्राप्त
	स्कूली शौचालय	30000	25267	4733 (15.78)
2015-16	घरेलू शौचालय	5000000	12664000	प्राप्त
	स्कूली शौचालय	1500	1899	प्राप्त
2016-17	घरेलू शौचालय	15000000	21957000	प्राप्त
	स्कूली शौचालय	1500	2911	प्राप्त

कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता में अंतर को दर्शाते हैं

एसबीएम (जी) में, घर तथा स्कूलों में शौचालय प्रदान करने के लक्ष्यों को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में प्राप्त किया गया था।

(बी) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

2013-14 से 2016-17 तक की अवधि हेतु दो योजनाओं अर्थात् (ए) लघु जल विद्युत (एसएचपी) तथा (बी) बैंगसे कोग्नरेशन एण्ड बायोमास पॉवर (बीसीबीपी) के भौतिक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का नीचे तालिका 1.31 में ब्यौरा दिया गया है:-

तालिका 1.31: एसएचपी तथा बीसीबीपी के भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

	एसएचपी (मेगावाट में)			बीसीबीपी (मेगा वाट में)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी
2013-14	300	171	129 (43.00)	405	एनए	एनए
2014-15	250	252	प्राप्त	400	295.67	104.33 (26.08)
2015-16	250	219	31 (12.40)	400	304.85	95.15 (23.79)
2016-17	250	106	144 (57.60)	400	161.95	238.05 (59.51)

कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता में अंतर को दर्शाते हैं।

एसएचपी परियोजना के अंतर्गत विद्युत उत्पन्न करने के लक्ष्य के केवल वर्ष 2014-15 में जाकर ही प्राप्त किया गया था।

बीसीबीपी में लक्ष्य प्राप्त करने में 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान 24 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच कमी थी।

(सी) शहरी विकास मंत्रालय

शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2013-14 से 2016-17 हेतु अपने परिणाम बजट में वार्षिक भौतिक लक्ष्यों को अलग से निर्धारित नहीं किया था।

(ii) लिंग आधारित बजट

लिंग आधारित बजट का आरंभ 2005-06 में हुआ। संघ सरकार का लिंग आधारित बजट संपूर्ण बजट के अंदर महिलाओं के लिए बनी योजनाओं पर पूर्णतः या आंशिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए प्रस्तावित व्यय को उद्घाटित करता है। लिंग आधारित बजट से संबंधित योजनाओं को दो भागों में बाँटा गया, यथा-भाग-ए, योजनाएं जिसमें बजट प्रावधान का 100 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित थे भाग 'बी'-योजनाएं जिसमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित था। वर्ष-वार बीई, आरई.एवं 2012-13 से 2016-17 तक तक बीई एवं आरई के मध्य अंतर नीचे तालिका 1.32 में दिये गये हैं।

तालिका 1.32: 2012-17 के दौरान लिंग आधारित बजटीय आबंटन

वर्ष	बीई			आरई			₹ करोड़ में	
	भाग ए	भाग बी	कुल	भाग ए	भाग बी	कुल	अंतर (बीई और आरई में अंतर)	अंतर का %
2012-13	22968.93	65173.87	88142.80	18878.48	59232.96	78111.44	(-)10031.36	(-)11.38
2013-14	27248.19	69885.51	97133.70	24285.11	61210.31	85495.42	(-) 11638.28	(-)11.98
2014-15	21887.61	75856.63	97744.24	17424.88	64168.04	81592.92	(-)16151.32	(-)16.52
2015-16	16657.11	62600.76	79257.87	11388.41	69860.71	81249.12	(+) 1991.25	(+)2.51
2016-17	19398.66	71371.14	90769.80	21179.12	75152.71	96331.83	(+)5562.03	(+) 6.13

(स्रोत: व्यय प्रोफाइल 2017-18)

तालिका 1.32 दर्शाती है कि महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई योजनाओं के अंतर्गत 2012-13 से 2016-17 के दौरान बीई की तुलना में आरई में -16.52 प्रतिशत से 2.51 प्रतिशत तक के बीच अंतर था। बीई 2016-17 में 27 मंत्रालय/विभाग/संघ शासित क्षेत्र सरकारों ने लिंग आधारित बजट हेतु आबंटन किया

था। 2012-13 से 2014-15 के दौरान, आर ई चरण पर व्यय बीई पर व्यय को कम था। तथापि, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान आई बीई की तुलना में अधिक था (उपर्युक्त तालिका 1.32)।

भाग ए योजना में वर्ष 2016-17 के लिए ₹21,179.12 करोड़ के आरई के कुल आबंटन में से, ₹16,000 करोड़ (76 प्रतिशत) केवल एक योजना अर्थात् प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित था जिसके प्रति ₹16,071 करोड़ का वास्तविक व्यय था।

भाग ए की 80 योजनाओं में से 30 योजनाओं में बजट की गई राशि ₹ एक करोड़ से कम थी।

भाग ए में निर्भया योजना के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2016-17 हेतु बीई में ₹403.40 करोड़ का आबंटन था जो क्रियात्मक शीर्ष में आरई में ₹592.89 करोड़ तक बढ़ा। आरई चरण पर निर्भया निधि हेतु ₹550 करोड़ का निधि को अतरंग हेतु बजट किया गया था तथा ₹1,135 करोड़ की निधि से विभिन्न महिला कल्याण योजनाओं पर व्यय करने की योजना की गई थी। इसके प्रति, इस निधि के अंतर्गत वास्तविक व्यय ₹1,171.60 करोड़ था।

1.3.7 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चो तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र हेतु कल्याण योजना

सरकार ने वित्त वर्ष 2011-12 से मंत्रालयों/विभागों को, एक ही लघु शीर्ष के सिवाए, प्रावधानों का पुनर्विनियोजन न करने के अनुदेश के साथ अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विकास हेतु अलग आबंटन करने की पहल की थी।

बाद में, 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चों के लिए सरकार उनके विकास एवं कल्याण तथा मूलतः उनके कल्याण हेतु प्रावधान करने को वचनबद्ध है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु बजट में विशेष प्रावधान किया गया था।

तालिका 1.33 एससी तथा एसटी के विकास/कल्याण, बच्चो के कल्याण तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) हेतु योजनाओं को दर्शाती है।

तालिका 1.33: 2016-17 में विकास तथा कल्याण योजनाएं

क्र.सं.	योजनाएं	उप-योजनाओं की संख्या	मंत्रालयों की संख्या	बीई	आरई	बीई के प्रति अंतर की %
				₹ करोड़ में		
1	एससी का कल्याण	256	28	38832.63	40919.70	5.37
2	एसटी का कल्याण	261	36	24005.39	25602.08	6.65
3	बच्चों का कल्याण	84	22	65758.45	66284.62	0.75
4	एनईआर	1	55	29124.79	32180.08	10.49

यद्यपि एक साथ मिलाकर सभी योजनाओं में आरई चरण पर कोई मुख्य अंतर नहीं था फिर भी यह देखा गया था कि एससी हेतु 22 योजनाओं तथा एसटी हेतु 19 योजनाओं में मंत्रालयों/विभागों को दिए गए अनुदेशों के उल्लंघन में राशि को आरई चरण पर 50 से 100 प्रतिशत के बीच कम किया गया था।

इसके अतिरिक्त, एससी तथा एसटी हेतु कुल 256 तथा 261 योजनाओं में से, 2016-17 के दौरान बीई चरण पर क्रमशः 36 तथा 42 उप-योजनाओं में कोई बजट आबंटन नहीं थे।


इसी प्रकार, बच्चों के कल्याण हेतु कुल 84 योजनाओं में से चार योजनाओं में बीई से आरई में परिवर्तन (-)89 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच था।

एनईआर के विकास हेतु कुल 55 योजनाओं में से आठ योजनाओं में बीई से आरई में (-)14 प्रतिशत से 108 प्रतिशत तक के बीच के अंतर थे।

1.4 घाटे

सरकार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए सामान्यतया तीन प्रकार के घाटे (बाक्स 1.3) प्रयोग किए जाते हैं जो (i) राजस्व घाटा, (ii) राजकोषीय घाटा और (iii) प्राथमिक घाटा है।

बॉक्स 1.3: घाटे के प्रकार



(ए) राजस्व घाटा

राजस्व घाटा, राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह बिना तदनु रूप पूंजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि का कारण बनता है तथा इस प्रकार यह एक बेमेल परिसंपत्ति देयता का सृजन करता है। इन कारणों से, राजस्व घाटा साधारणतः कम वांछनीय समझा जाता है।

तालिका 1.34 दर्शाती है कि राजस्व घाटा 2015-16 में ₹3,43,369 करोड़ से घटकर 2016-17 में ₹3,17,030 करोड़ हो गया था। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, राजस्व घाटा 2015-16 में 2.51 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 2.09 प्रतिशत हो गया था।


तालिका 1.34: राजस्व घाटा

(प्रतिशत में)

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा		
				राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	जीडीपी
				(₹ करोड़ में)		
2012-13	1055891	1420473	364582	34.53	25.67	3.67
2013-14	1217794	1575097	357303	29.34	22.68	3.18
2014-15	1328909	1695137	366228	27.56	21.60	2.94
2015-16	1436160	1779529	343369	23.91	19.30	2.51
2016-17	1615988	1933018	317030	19.62	16.40	2.09

राजस्व घाटे को चार्ट 1.7 में ग्राफ के रूप में भी दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7 राजस्व घाटा एवं जीडीपी की प्रतिशतता



(बी) राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का आधिक्य है। यह सरकार के अपेक्षित उधारों तथा इसके बकाया ऋण के प्रति वृद्धि को भी इंगित करता है। यह सामान्यतः सरकार की निवल वर्धनीय देयताओं अथवा राजस्व तथा व्यय के मध्य बजटीय अन्तर को पाटने के लिए इसके द्वारा लिए गए अतिरिक्त लोक ऋण को प्रस्तुत करता है। कमी को अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाह्य) उधार राशियां या लोक लेखे से अधिशेष निधियों के प्रयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है जैसा कि तालिका 1.35 में विस्तार से दिया गया है।


तालिका 1.35: राजकोषीय घाटा

अवधि	गैर ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा		
				गैर-ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	जीडीपी
2012-13	1108404	1602918	494514	44.61	30.85	4.97
2013-14	1271711	1774941	503230	39.57	28.35	4.48
2014-15	1393196	1909144	515948	37.03	27.03	4.15
2015-16	1520170	2105667	585497	38.52	27.81	4.28
2016-17	1704702	2242501	537799	31.55	23.98	3.54

तालिका 1.35 दर्शाती है कि राजकोषीय घाटा में 2015-16 के ₹5,85,497 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹5,37,799 करोड़ तक कम हुआ। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, राजकोषीय घाटा 2015-16 के 4.28 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 3.54 प्रतिशत था।

राजकोषीय घाटे को चार्ट 1.8 में ग्राफ के रूप में भी दर्शाया गया है।

चार्ट 1.8 राजकोषीय घाटा एवं इसके मापदण्ड



यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश वास्तविक व्यय भाग पूंजीगत व्यय को कायम रखने के लिए अथवा पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों को वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है।

तालिका 1.36: राजकोषीय घाटे के संघटकों का अंश

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्जे एवं पेशगियां
2012-13	73.73	25.17	1.10
2013-14	71.00	27.72	1.28
2014-15	70.98	26.04	2.98
2015-16	58.65	40.43	0.92
2016-17	58.95	37.51	3.54

जैसा कि तालिका 1.36 से देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटे का बड़ा भाग राजस्व घाटे को वित्तपोषित करने के प्रति था। ₹5,37,799 करोड़ के राजकोषीय घाटे में से, राजस्व लेखे में ₹3,17,030 करोड़ (58.95 प्रतिशत) था, जो 2016-17 में राजस्व घाटा प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे का शेष अंश पूंजीगत लेखे में

था। राजस्व घाटे का अंश 2015-16 में 58.65 प्रतिशत से 2016-17 में 58.95 प्रतिशत तक सीमान्त रूप से बढ़ा। यह निवल पूंजीगत व्यय के अंश में कमी के कारण था जो 2015-16 में 40.43 प्रतिशत से 2016-17 में 37.51 प्रतिशत तक कम हुआ। तथापि निवल कर्जे एवं अग्रिमों का अंश 2015-16 में 0.92 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 3.54 प्रतिशत तक बढ़ा।

तालिका 1.37 संघ सरकार के राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के स्रोत को दर्शाती है।

तालिका 1.37: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण (निवल)		बाह्य ऋण (निवल)		लोक लेखे (निवल)		नकद निकासी कमी		राजकोषीय घाटा
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	
2012-13	533944	107.97	7201	1.46	4380	0.89	-51011	-10.32	494514
2013-14	476383	94.67	7292	1.45	38721	7.69	-19166	-3.81	503230
2014-15	497564	96.44	12933	2.51	-72393	-14.03	77844	15.09	515948
2015-16	566544	96.76	12748	2.18	-6965	-1.19	13170	2.25	585497
2016-17	437317	81.32	17997	3.35	91381	16.99	-8896	-1.65	537799

जैसा कि यह तालिका से स्पष्ट है, राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण मुख्यतः निवल आंतरिक ऋण से होता है। 2016-17 में, बाह्य ऋण तथा लोक लेखे का उपयोग संघ सरकार की राजकोषीय बेमेल स्थिति को सुधारने के लिए भी किया गया है।

(सी) प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा कर मापा जाता है। यह वर्तमान वर्ष के राजकोषीय परिचालन का मापक है जिसमें ब्याज भुगतान जो पूर्व में उधार ली गई राशियों के कारण सृजित हुई थी, की देयता शामिल नहीं है। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में प्राथमिक घाटा धीरे धीरे 2012-13 में 1.65 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 0.22 प्रतिशत हुआ था जैसा कि **तालिका 1.38** में दर्शाया गया है। तथापि, यह 2014-15 की तुलना में 2015-16 में अधिक (0.94 प्रतिशत) था।

तालिका 1.38: प्राथमिक घाटा

(₹ करोड़ में)


वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल ब्याज भुगतान*	प्राथमिक घाटा	जीडीपी के प्रतिशत में
2012-13	494514	330171	164343	1.65
2013-14	503230	395200	108030	0.96
2014-15	515948	425098	90850	0.73
2015-16	585497	457270	128227	0.94
2016-17	537799	504512	33287	0.22

*ऋण की कटौती या परिहार पर व्यय सम्मिलित है।

1.5 ऋण प्रबंधन

जबकि बजट संतुलन के लिए ऋण पर निर्भरता पूरी तरह से परिहार्य नहीं हो सकती है फिर भी संघ सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के माध्यम से उधारों की सीमाएं निर्धारित करती है। एफआरबीएम नियम अनुबद्ध करते हैं कि केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2004-05 के लिए जीडीपी के नौ प्रतिशत से अधिक देयताओं (वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) का उत्तरदायित्व नहीं लेगी और प्रत्येक वित्त वर्ष में जीडीपी के नौ प्रतिशत की सीमा जीडीपी के कम से कम एक प्रतिशत प्वाइंट तक प्रगामी रूप से कम की जानी थी (नीचे बॉक्स 1.4 'भारत सरकार की राजकोषीय देयताएं को दर्शाते हैं')।

बॉक्स 1.4: राजकोषीय देयताएं



तालिका 1.39 आंतरिक ऋण की रचना को दर्शाती है, जिसमें विभिन्न घटकों अर्थात् संबंधित वित्त वर्षों के अंत तक के बाजार ऋण, खजाना बिल, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बॉर्ड शामिल हैं।

तालिका 1.39: आंतरिक ऋण की संरचना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	खजाना बिल	प्रतिभूतियां जारी की गईं			प्रतिपूर्ति एवं अन्य बॉर्ड	अन्य	कुल
			अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	डाक जीवन बीमा			
2012-13	2984309 (79.27)	418185 (11.11)	32226 (0.86)	216806 (5.76)	20894 (0.56)	13823 (0.37)	78321 (2.07)	3764566 (100)
2013-14	3441641 (81.16)	425950 (10.04)	35181 (0.83)	229165 (5.40)	20894 (0.49)	13614 (0.32)	74322 (1.76)	4240767 (100)
2014-15	3891734 (82.13)	435129 (9.18)	46395 (0.98)	261391 (5.52)	20894 (0.44)	13426 (0.28)	69322 (1.47)	4738291 (100)
2015-16	4300102 (81.06)	485822 (9.16)	106726 (2.01)	313856 (5.92)	20894 (0.39)	11114 (0.21)	66321 (1.25)	5304835 (100)
2016-17	4649487 (80.98)	491372 (8.56)	108740 (1.89)	381291 (6.64)	20894 (0.36)	20325 (0.36)	69600 (1.21)	5741709 (100)

कोष्ठक में आंकड़े कुल आंतरिक ऋण की प्रतिशतता को दर्शाता है।

बाजार ऋण आंतरिक ऋण के 80 प्रतिशत से अधिक है। खजाना बिल आंतरिक ऋण का दूसरा सबसे बड़ा साधन होने से आंतरिक ऋण का 8.56 प्रतिशत बनता है।

तालिका 1.40 विनिमय की वर्तमान दर (दर जिसपर ऋण मूल रूप में संविदित था) तथा ऐतिहासिक दर पर सरकार की कुल देयता, दोनों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.40: कुल राजकोषीय देयता

(₹ करोड़ में)

अवधि	संघ सरकार के आंतरिक ऋण (1)	बाह्य ऋण (ऐतिहासिक दरों पर) (2)	लोक लेखा देयताएं (3)	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर) (1+2+3)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर) (4)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर) (1+3+4)
2012-13	3764566 (37.85)	177289 (1.78)	610016 (6.13)	4551871 (45.76)	332004 (3.34)	4706586 (47.32)
2013-14	4240767 (37.74)	184581 (1.64)	644060 (5.73)	5069408 (45.11)	374483 (3.33)	5259310 (46.81)
2014-15	4738291 (38.07)	197514 (1.59)	671010 (5.39)	5606815 (45.05)	366384 (2.94)	5775685 (46.41)
2015-16	5304835 (38.77)	210262 (1.54)	711608 (5.20)	6226705 (45.51)	406589 (2.97)	6423032 (46.95)
2016-17	5741709 (37.81)	228259 (1.50)	756448 (4.98)	6726416 (44.30)	408108 (2.69)	6906265 (45.48)

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े जीडीपी की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

*1999-2000 से लोक लेखा देयताएं राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों एवं कुछ अन्य साधन में निवेश की सीमा तक लघु बचतों तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि परिचालनों में हुई हानियां के कारण देयताओं को शामिल नहीं करती हैं।

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में वर्तमान दर पर कुल देयता ने 2015-16 को छोड़कर, जिसके दौरान यह 0.54 प्रतिशतता बिन्दु तक सीमान्त रूप से बढ़ा तथा 46.95 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा, 2012-17 के दौरान घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाई है। तथापि यह कम हुआ तथा 2016-17 में 45.48 प्रतिशत तक पहुंचा जो पिछले पांच वर्षों का अब तक का सबसे निम्न स्तर है। 31 मार्च 2017 को आन्तरिक ऋण कुल लोक ऋण (आंतरिक और बाह्य ऋण) का लगभग 96.18 प्रतिशत बना था। हालांकि वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण की गणना करते समय आंतरिक ऋण, कुल लोक ऋण का 93.36 प्रतिशत बनता है। बाह्य ऋण का अंश कुल देयताओं का लगभग 3 प्रतिशत है जो दर्शाता है कि देयता को वैश्विक अस्थिरता के प्रति प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। 2016-17 में ऋण स्टॉक का स्तर जीडीपी का 45.48 प्रतिशत था जो कि 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश 41.41 प्रतिशत से अधिक था (तालिका 1.44)।

तालिका 1.41 लोक लेखा देयताओं के नेटेड तथा वास्तविक आंकड़ों दोनों को ध्यान में रखकर कुल राजकोषीय देयता की स्थिति को प्रकाश में लाता है।

तालिका 1.41: कुल राजकोषीय देयताओं को कम बताना

(₹ करोड़ में)

अवधि	लोक लेखा देयताएं (नेटेड आंकड़ों के अनुसार)	लोक लेखा देयताएं (वास्तविक)	कम बतायी गयी राशि (3-2)	कुल नेटेड देयताएं (वर्तमान दरों पर)	कुल वास्तविक देयताएं (वर्तमान दरों पर) (4+5)
1	2	3	4	5	6
2012-13	610016 (6.13)	1198214 (12.05)	588198	4706586 (47.32)	5294784 (53.23)
2013-14	644060 (5.73)	1268854 (11.29)	624794	5259310 (46.81)	5884104 (52.37)
2014-15	671010 (5.39)	1341220 (10.78)	670210	5775685 (46.41)	6445895 (51.79)
2015-16	711608 (5.20)	1430012 (10.45)	718404	6423032 (46.95)	7141436 (52.20)
2016-17	756448 (4.98)	1519728 (10.01)	763280	6906265 (45.48)	7669545 (50.51)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े जीडीपी की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

वित्त लेखे के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2017 को बकाया लोक लेखा देयताएं ₹7,56,448 करोड़ (लघु बचत तथा भविष्य निधि के रूप में ₹5,48,348 करोड़ तथा अन्य दायित्वों के रूप में ₹2,08,100 करोड़) हुई। यह सरकार की ₹7,63,280 करोड़ की देयताओं, जो दायित्व से निवेशों के माध्यम से निधिबद्ध की गई है, को छोड़ने के कारण है। तथापि, ₹13,11,628 करोड़ की लघु बचतों, भविष्य निधि आदि की देयता तथा अन्य दायित्वों के रूप में ₹2,08,100 करोड़ के स्तर को लेखे में लेते हुए लोक लेखा देयताएं ₹15,19,728 करोड़ परिकल्पित की गई जो 2015-16 में ₹14,30,012 करोड़ के प्रति 2016-17 में तालिका 1.41 के कॉलम 3 में प्रदर्शित की गई है। तदनुसार, 31 मार्च 2017 को संघ सरकार की कुल बकाया देयता वर्तमान दर पर बाह्य ऋण की गणना करके 2015-16 में जीडीपी के 52.60 प्रतिशत बनाते हुए ₹71,41,436 करोड़ के प्रति 2016-17 में जीडीपी के 50.51 प्रतिशत बनते हुए ₹76,69,545 करोड़ हुई।

1.5.1 लोक ऋण का पुनर्भुगतान

2016-17 के दौरान, सरकार ने आन्तरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹4,48,928 करोड़ की राशि का भुगतान किया है (तालिका 1.42)। आन्तरिक ऋण पर प्रदत्त ब्याज का 82.55 प्रतिशत से अधिक विभिन्न दरों के ब्याज वाले बाजार ऋणों (₹3,70,590 करोड़) पर ब्याज था। बाह्य ऋण पर प्रदत्त ब्याज ₹5,144 करोड़ थी बाह्य ऋण पर ब्याज का लगभग 91 प्रतिशत (₹4,701 करोड़) केवल चार संस्थाओं अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), जापान सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋणों के कारण था।

तालिका 1.42 कुल राजकोषीय देयताओं को कम बताना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण का भुगतान		बाह्य ऋण का भुगतान		लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान	लोक ऋण की कुल प्राप्ति	कुल गैर-ऋण प्राप्ति
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज			
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8
2012-13	3410785	281891	16108	4019	3712803	3968038	1108404
2013-14	3493167	344893	18124	3880	3860064	3994966	1271711
2014-15	3687099	371420	20601	3766	4082886	4218196	1393196
2015-16	3714352	405242	23305	3925	4146824	4316950	1520170
2016-17	5652628	448928	26195	5144	6132895	6134137	1704702

₹17,04,702 करोड़ के कुल गैर ऋण प्राप्ति के प्रति 2016-17 में ₹61,32,895 करोड़ के लोक ऋण का कुल पुर्नभुगतान हुआ था जो कि गैर-ऋण प्राप्तियों के 3.6 गुना से अधिक था। इसके अतिरिक्त, 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों के प्रति लोक ऋण के पुर्नभुगतान का अनुपात 3.8 गुना था।


1.5.2 ऋण स्थिरता

ऋण स्थिरता सामान्य रूप से ऋण, प्राथमिक घाटे और जीडीपी वृद्धि दर के संबंध में ब्याज लागत से मापी जाती है। गिरता हुआ ऋण/जीडीपी अनुपात को स्थिरता की ओर बढ़ता हुआ मान सकते हैं। ब्याज भुगतानों की राजस्व प्राप्तियों के साथ के अनुपात को ऋण स्थिरता को मापने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस भाग में, कुल देयता (लोक ऋण और अन्य देयताओं) की स्थिरता का आकलन महत्व परिवर्तनों में देखी गई प्रवृत्तियों का उपयोग करके किया जाता है।

(ए) देयता-जीडीपी अनुपात

देयता-जीडीपी अनुपात में प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो कि देयता की स्थिरता को सूचित करती है और चार्ट 1.9 में प्रस्तुत है।

चार्ट 1.9: देयता-जीडीपी अनुपात में प्रवृत्तियां




वर्तमान दर पर केन्द्र सरकार की देयता 2012-13 में ₹47,06,586 करोड़ से 2016-17 में ₹69,06,265 करोड़ तक बढ़ी। देयता-जीडीपी अनुपात में 2015-16 में 46.95 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 45.48 प्रतिशत तक कमी आई। इस विश्लेषण में लोक खातों की कम कथन को ध्यान में नहीं रखा गया है जैसा तालिका 1.40 में उल्लेखित है, लेकिन जिसके लिए 2016-17 में देयता-जीडीपी अनुपात 50.51 प्रतिशत होता।

(बी) ऋण-जीडीपी अनुपात

ऋण-जीडीपी अनुपात में प्रवृत्ति एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है जोकि देयता की स्थिरता को सूचित करती है और चार्ट 1.10 में प्रस्तुत है।

चार्ट 1.10: ऋण की प्रवृत्तियां- जीडीपी अनुपात




संघ सरकार के ऋण 2015-16 के ₹55,15,097 करोड़ से बढ़कर 2016-17 (तालिका 1.39 तथा 1.40) में ₹59,69,968 करोड़ तक हो गए। तथापि, प्रतिशतता रूप में ऋण-जीडीपी अनुपात 2015-16 में 40.31 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 39.32 प्रतिशत हो गया।

(सी) ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों के साथ अनुपात

ऋण की ब्याज लागत सरकारी ऋण की स्थिरता का अन्य मुख्य संकेतक है। वर्ष 2013-14 और 2016-17 (चार्ट 1.11) में सरकार हेतु ब्याज भुगतान के प्रति राजस्व प्राप्तियां (आईपी/आरआर) के अनुपात में घटती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गई थी।


चार्ट 1.11: ब्याज भुगतान के प्रति राजस्व प्राप्ति प्रतिशतता



(डी) औसत ब्याज लागत

औसत ब्याज लागत (एआईसी) एक वर्ष के दौरान औसत ऋण स्टॉक⁸ के साथ ब्याज भुगतानों का भाग करके निकाली जाती है। गिरती हुई औसत ब्याज लागत सरकारी ऋण की स्थिरता के लिये शुभ संकेत है।

चार्ट 1.12: औसत ब्याज दर (एआईसी) और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि



चार्ट 1.12 औसत ब्याज लागत में 2013-14 से 2015-16 तक गिरावट को दर्शाता है जो 2016-17 में पलट गई। यह 2015-16 में 8.75 प्रतिशत से 2016-17 में 8.79 प्रतिशत तक मामूली रूप से बढ़ा क्योंकि ब्याज भुगतान पिछले वर्षों से 2016-17 में 10.98 प्रतिशत तक बढ़े।


⁸ औसत ऋण स्टॉक, वर्ष के आरंभ एवं वर्ष के अंत में बकाया ऋण का सामान्य औसत है।

एआईसी के साथ सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर की तुलना लोक ऋण की स्थिरता को सुदृढ़ बनाती है, क्योंकि जीडीपी में सांकेतिक वृद्धि दर औसत 2012-17 के दौरान औसत ब्याज लागत से अधिक रही है।

(ई) बाजार ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल

2016-17 में ₹69,06,265 करोड़ की कुल बकाया देयताओं में, आंतरिक ऋण ₹57,41,709 करोड़ का था। आंतरिक ऋण का मुख्य घटक है बाजार ऋण जो दिनांकित प्रतिभूतियां हैं और वह ₹46,49,487 करोड़ का था (आंतरिक ऋण का 80.98 प्रतिशत)। जिन बाजार ऋणों की ऋणमुक्ति सात वर्षों के भीतर करनी थी, उनकी परिपक्वता प्रोफाइल 2016-17 की समाप्ति पर ₹16,90,864 करोड़ (बकाया बाजार ऋण के 37 प्रतिशत के आसपास) थी (चार्ट 1.13)।

चार्ट 1.13: बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल




स्रोत: वि.व 2016-17 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे

वर्ष 2016 में, सबसे लंबी परिपक्वता आयु वाली दिनांकित प्रतिभूतियां 39 वर्षों वाली थीं।

1.5.3 अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता

2016-17 के दौरान, वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण ₹4,08,108 करोड़ सूचित किया गया है जबकि 31 मार्च 2017 को अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता ₹2,54,779 करोड़ की थी। सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय (सीएएए) से क्षेत्रवार विवरण इंगित करता है कि शहरी विकास (₹44,727 करोड़), परमाणु ऊर्जा (₹30,916 करोड़), विद्युत (₹19,696 करोड़), रेल (₹20,454 करोड़), जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹25,111 करोड़), जल संसाधन प्रबंधन (₹11,826 करोड़), सड़कें (₹36,895) करोड़ तथा पर्यावरण एवं वानिकी (₹12,422 करोड़) क्षेत्रों में बड़े अनाहरित शेष थे।

चार्ट 1.14: अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता



* वर्ष 2016-17 के आंकड़े प्रावधानिक हैं। ये सीएएए द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

अनाहरित बाह्य सहायता पर प्रतिबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निधारित मूल राशि पर दिये जाते हैं। चूंकि प्रतिबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे 'ब्याज दायित्व' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। तालिका 1.43 बाद की तिथियों में सहायता राशि के आहरण के पुनर्निधारण के लिए चार वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न निकायों/सरकारों को भुगतान किए गए प्रतिबद्धता प्रभारों को दर्शाती है।

तालिका 1.43: प्रतिबद्धता प्रभार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एशियन विकास बैंक	जापान	जर्मनी	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक	कुल
2012-13	47.62	25.67	7.43	12.23	92.95
2013-14	47.47	49.99	9.78	10.09	117.33
2014-15	49.21	46.11	8.47	6.74	110.53
2015-16	57.58	37.75	7.36	7.91	110.60
2016-17	60.39	35.30	9.17	16.95	121.81

प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान 2014-15 से बढ़ता रहा है तथा 2016-17 में ₹121.81 करोड़ के अभी तक के अपने सबसे ऊचे स्तर पर पहुंच गया है। यह निरंतर अपर्याप्त योजना का संकेत देता जिसका परिणाम प्रतिबद्धता प्रभारों पर परिहार्य व्यय में हुआ।

1.5.4 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में निष्पादन

चौदहवें वित्त आयोग (14वें वि.आ.) द्वारा उल्लिखित आकलनों की तुलना में 2016-17 के अधिनिर्णय अवधि के वित्तीय वर्ष के दौरान संघ सरकार हेतु मुख्य राजकोषीय कुल जमा को तालिका 1.44 में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 1.44: राजकोषीय रोड मैप तथा वास्तविक निष्पादन

(जीडीपी की प्रतिशतता)

मापदंड	14 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित					वित्तीय लेखे के अनुसार वास्तविक निष्पादन	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2015-16	2016-17
राजस्व घाटा	2.56	2.25	1.79	1.36	0.93	2.51	2.09
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.61	0.65	0.70	0.76	0.82	0.61	0.58
राजकोषीय घाटा	3.60	3.00	3.00	3.00	3.00	4.28	3.54
ऋण का स्टॉक (वर्ष के अंत में देयताएं)	43.60	41.41	39.49	37.79	36.30	46.95	45.48

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि राजस्व घाटा जीडीपी का 2.09 प्रतिशत होने से 2.25 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे रहा। राजकोषीय घाटा (3.54 प्रतिशत) 2016-17 में जीडीपी के तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। वर्ष 2016-17 हेतु ऋण स्टॉक जीडीपी के 41.41 प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति जीडीपी का 45.48 प्रतिशत था।

1.6 संघ सरकार की गारंटियों में वृद्धि

संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, संघ सरकार ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटियाँ दे सकती हैं, यदि कोई है, जो विधि से संसद द्वारा निर्धारित की गई है। संघ सरकार द्वारा (i) उधारों का पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज का भुगतान (ii) अंश पूंजी का पुनर्भुगतान तथा न्यूनतम लाभांश का भुगतान (iii) सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ शासित क्षेत्रों, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों आदि के लिए क्रेडिट आधार पर सामग्रियों तथा उपकरणों के आपूर्तियों हेतु करार के प्रति भुगतान आदि गारंटी दी जाती है। यह गारंटियाँ सीएफआई पर आकस्मिक देयता स्थापित करती है।


गारंटियां अवसंरचना विकास और ऐसी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए निवेशों की बढ़ती आवश्यकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती हैं। संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि सभी जोखिमों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जबकि गारंटियां परम्परागत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, वहां चूक होने की स्थिति में, सरकार के ऋणों में वृद्धि की सम्भावना रहती है।

गारंटियाँ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से उधार लेने अथवा पीएसयू को बाजार से धन उधार लेने योग्य बनाने हेतु दी जाती हैं। एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 3(3) में अनुबंधित है कि केन्द्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ किसी भी वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत से अधिक गारंटियां नहीं देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एफआरबीएम नियम 2004 के नियम 6(1)(बी) के अनुपालन में केन्द्र सरकार के लिए राजकोषीय संचालन में वृहत् पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय गारंटियों के संदर्भ में प्रकटीकरण आवश्यक है।

क्रमशः चार्ट 1.15 और तालिका 1.45 में वित्त वर्ष 2012-17 के अंत में गारंटियों की अधिकतम राशि, बकाया गारंटीकृत राशि तथा बकाया बाह्य गारंटियों से संबंधित स्थिति दी गई है। 31 मार्च 2017 तक बकाया गारंटीकृत राशि में से 71.20 प्रतिशत विदेशी कर्जदाता संस्थाओं से ऋणों के प्रति, 21.22 प्रतिशत आरबीआई/बैंकों/औद्योगिक और वित्त निगमों आदि को मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान, नकद क्रेडिट सुविधा आदि के लिए तथा शेष 7.58 प्रतिशत शेयरपूंजी के

पुनर्भुगतान के लिए, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान हेतु तथा बंधपत्रों, उधारों एवं डिबेंचर/काउण्टर गारंटी आदि के लिए थी। वित्त मंत्रालय द्वारा 2016-17 में मुख्य मंत्रालयों/विभागों जिनको गारंटी प्रदान की गई उनमें से कृषि एवं सहकारिता, आर्थिक कार्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत, दूरसंचार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, विदेशी मामले मंत्रालय/विभाग थे।

चार्ट 1.15: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां



तालिका 1.45: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि (कुल)	बकाया बाह्य गारंटियां	कुल बकाया गारंटियों के प्रतिशत के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
2012-13	242915	233769	136864	58.55
2013-14	270629	249503	150373	60.27
2014-15	305519	294700	186172	63.17
2015-16	352519	343650	239941	69.82
2016-17	378592	366189	260720	71.20

31 मार्च 2017 को कुल बकाया गारंटियां जीडीपी का 2.41 प्रतिशत तथा 2016-17 में संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 22.66 प्रतिशत थीं।

एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन में, वर्ष के दौरान गारंटियों की वृद्धि ₹34,945.30 करोड़ (जीडीपी का 0.23 प्रतिशत) थी। हालांकि, वर्ष 2016-17 के दौरान गारंटियों का निवल अभिवृद्धि ₹22,541.84 करोड़ था जोकि जीडीपी का 0.15 प्रतिशत था।

1.7 निष्कर्ष

वर्ष 2016-17 को अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि के साथ दर्शाया गया था क्योंकि स्थिर मूल्यों (2011-12) पर जीडीपी के अनुमान 2015-16 में वृद्धि दर 8.01 प्रतिशत के प्रति से 2016-17 में घटकर 7.11 प्रतिशत हो गए। सकल मूल्य वर्धित (जीवीए)⁹ स्थिर मूल्यों (2011-12) पर तिमाहीवार विश्लेषण यह दर्शाता है कि 2016-17 की पहली तिमाही में वृद्धि वही थी जो 2015-16 में थी, अर्थात् 7.6 प्रतिशत पर। हालांकि, 2015-16 में इसी तिमाही की तुलना में 2016-17 में अगले तीन तिमाहियों में वृद्धि की दर में गिरावट देखी गई। जीडीपी में मंदी दूसरी तिमाही से शुरू हुई और 2016-17 की चौथी तिमाही में अधिक स्पष्ट हो गई। तथापि, वर्ष 2016-17 में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी पिछले वर्ष में 9.94 प्रतिशत की तुलना में 10.98 प्रतिशत का सुधार देखा गया। दोनो राजस्व घाटा जो 2015-16 में जीडीपी के 2.51 प्रतिशत से 2016-17 में 2.09 प्रतिशत तक कम हुआ तथा राजकोषीय घाटा जो जीडीपी के संबंध में 2015-16 में 4.28 प्रतिशत से 2016-17 में 3.54 प्रतिशत तक कम हुआ, में सुधार देखा गया था। वर्तमान विनियम दर पर जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में कुल देयता वर्ष 2015-16 में 46.95 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 45.48 प्रतिशत हो गई। पिछले वर्ष से 2016-17 में 8.25 प्रतिशत पर ऋण स्टॉक की वृद्धि वर्तमान मूल्यों पर 10.98 प्रतिशत पर जीडीपी की वृद्धि की तुलना में भी कम थी।

⁹ उत्पाद पर करों का शुद्ध जीडीपी